<u>भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 6/09/2024- डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक : 27.03.2025

<u>अंतिम निष्कर्ष</u>
<u>मामला सं. एडीडी (ओ.आई.) 08/2024</u>

विषय : चीन जन. गण. और ताइवान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच का प्रकटीकरण विवरण।

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रुप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियम' के रुप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, प्लास्टिक मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जिसे इसके बाद "आवेदक एसोसिएशन" अथवा "पीएमएमएआई" के रुप में भी कहा गया है) ने इलेक्ट्रॉनिका प्लास्टिक मशीन्स लिमिटेड, मिलाक्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, शिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और विंडसर मशीन्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद "घरेलू उद्योग" के रुप में भी कहा गया है) की ओर से चीन जन .गण. और ताइवान (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" के रुप में भी कहा गया है) से प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों (पीपीएम) अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा "संबद्ध वस्तुएँ" कहा जाएगा) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" के रुप में भी कहा

गया है) के समक्ष एक विधिवत प्रमाणित आवेदन दाखिल किया है। एसोसिएशन और भाग लेने वाले घरेलू उत्पादकों को संयुक्त रुप से इसके बाद "आवेदक" के रुप में भी कहा गया है।

2. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, भारत के राजपत्र - असाधारण में प्रकाशित दिनांक 29 मार्च 2024 की अधिसूचना संख्या 6/09/2024- डीजीटीआर के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू की, जिसे यदि लगाया जाता है, तो घरेलू क्षति की कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी ।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. जांच के संबंध में नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है :

क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरूआत करने से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को सूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने दिनांक 29 मार्च 2024 को भारत के राजपत्र -असाधारण में प्रकाशित की गई एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत की गई।

ग. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरूआत करने के लिए अधिसूचना की एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया था कि वे जांच की शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना में निर्धारित फार्म और तरीके से संगत सूचना प्रदान करें और जांच की शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने अनुरोधों से अवगत कराएं।

घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आवेदकों द्वारा दाखिल किए गए आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को उपलब्ध कराई।

ङ. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने संबद्ध देशों के निर्यातकों/ उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए परामर्श दें। ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पते के साथ उन्हें भेजी गई।

च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों से निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी :

क्र. सं.	**संबद्ध देश**	**उत्पादक / निर्यातक**
1	चीन जन. गण.	चेन डी प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड
2		कॉसमॉस मशीनरी लिमिटेड
3		डेमाग प्लास्टिक मशीनरी (निंगबो) कंपनी लिमिटेड
4		गुआंगडोंग यिजुमी प्रेसिजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड
5		गुआंगझोउ बोर्च मशीनरी कंपनी लिमिटेड
6		हैटेन इंटरनेशनल
7		हांग्जो टेडेरिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड
8		लिगुआंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड
9		मिट्स्लॉन्ग मोल्ड एंड मशीन कंपनी लिमिटेड
10		निंगबो हैक्सियोंग प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड
11		निंगबो हेंगरुन प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड
12		निंगबो शुआंगमा मशीनरी इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
13		किंगदाओ रुंजिया प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड
14		किंगदाओ सानिल प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड
15		शांडोंग टोंगज्या मशीनरी कंपनी लिमिटेड
16		शंघाई जीएस मशीनरी मैन्युफैक्चर कंपनी लिमिटेड
17		सूज़ौ फोसिटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
18		शिनले हुआबाओ प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड

19		झांगजियागांग किंग मशीन कंपनी लिमिटेड
20		झेजियांग ईस्ट झोउकियांग प्लास्टिक और मोल्ड इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
21		झेजियांग गोल्डन ईगल प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड
1	ताइवान	एशियाई प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड
2		हुआरोंग प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड
3		पैन स्टोन प्रिसिजन इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड

छ. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, संबद्ध देशों से निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने उत्तर दिया है तथा निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है :

क्र. सं.	**संबद्ध देश**	**उत्पादक / निर्यातक**
1	चीन जन. गण.	चेन हसोंग मशीनरी (निंगबो) कंपनी लिमिटेड
2		चेन हसोंग मशीनरी (शेन्ज़ेन) कंपनी लिमिटेड
3		चेन हसोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड
4		चेन हसोंग सेल्स एंड मार्केटिंग (शेन्ज़ेन) कंपनी लिमिटेड
5		डोंगगुआन फू चुन शिन प्लास्टिक मशीनरी मैन्युफैक्चर कंपनी लिमिटेड
6		एंगेल मशीनरी (चांगझौ) कंपनी लिमिटेड
7		एंगेल मशीनरी (शंघाई) कंपनी लिमिटेड
8		फोशान शुंडे चेन डे प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड
9		फोशान शुंडे चेन डे प्रिसिजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड
10		फू चुन शिन (निंगबो) मशीनरी मैन्युफैक्चर कंपनी लिमिटेड
11		यिज़ुमी हाई स्पीड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
12		यिज़ुमी प्रिसिजन मशीनरी (एचके) कंपनी लिमिटेड
13		यिज़ुमी प्रिसिजन मशीनरी (सूज़ौ) कंपनी लिमिटेड
14		यिज़ुमी प्रिसिजन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
1	ताइवान	एशियन प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड
2		चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कंपनी लिमिटेड
3		हुआरोंग प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड

ज. प्राधिकारी ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भी भेजी, जिसमें नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग की गई।

क्र. सं.	**प्रयोक्ता / आयातक**
1	अरुण प्लास्टो मोल्डर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2	भारत बॉक्स फैक्ट्री लिमिटेड
3	सीजे पॉलिटेक प्राइवेट लिमिटेड
4	ई जॉब्स इन्फो टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
5	इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन टूल्स लिमिटेड
6	कुन्स्टोकॉम (इंडिया) लिमिटेड
7	मोल्डवेल प्रोडक्ट्स
8	मोल्डवेल प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
9	प्रिंस प्लास्टिक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
10	शक्ति पॉलिमर्स
11	सैटजर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
12	सुमी मदरसन ग्रुप
13	सुप्रिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
14	टेक प्लास्टिक इंडस्ट्रीज
15	टूलिंग टेम्पल
16	विक्टोरियास इंजीनियरिंग वर्क्स
17	विद्युत मेटालिक्स लिमिटेड

झ. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों और प्रयोक्ताओं ने प्राधिकारी को प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं :

क्र. सं.	**प्रयोक्ता / आयातक**
1	ब्लैकबर्न एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
2	चेन ह्सोंग मशीनरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (चीनी उत्पादक)

3	चेन हसोंग मशीनरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (ताइवान उत्पादक)
4	एफसीएस मैन्युफैक्चरिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
5	मोल्डेड फाइबरग्लास प्रोडक्ट्स
6	यिजुमी प्रिसिजन मशीनरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

ञ. चाइना प्लास्टिक मशीनरी इंडस्ट्री एसोसिएशन (सीपीआईएमए), ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईपीएमए) और ऑर्गनाइजेशन ऑफ प्लास्टिक प्रोसेसर्स ऑफ इंडिया (ओपीपीआई) द्वारा भी अनुरोध किए गए हैं और इन पर वर्तमान प्रकटीकरण विवरण में विचार किया गया है।

ट. निर्यातक, विदेशी उत्पादक और अन्य हितबद्ध पक्षकार, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है अथवा इस जाँच के संबंध में सूचना नहीं दी है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।

ठ. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों और आवेदकों को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की थी। आर्थिक हित प्रश्नावली को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया था। घरेलू उद्योग, एंगेल मशीनरी (चांगझोउ) कंपनी लिमिटेड, चीन और एंगेल मशीनरी (शंघाई) कंपनी लिमिटेड, चीन ने आर्थिक हित प्रश्नावली दाखिल की है। भारी उद्योग मंत्रालय ने भी आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया है।

ड. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण की अवधि में वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और जांच की अवधि शामिल है।

ढ़. हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरुआत अधिसूचना की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने और यदि आवश्यक हो तो पीसीएन का प्रस्ताव करने का अवसर दिया गया था। कुछ हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, पीसीएन पद्धति की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए दिनांक 30 अप्रैल 2024 को एक बैठक का आयोजन किया गया था।

ण. विचाराधीन उत्पाद का दायरा और जांच के लिए पीसीएन पद्धति दिनांक 8 जुलाई 2024 को अधिसूचित की गई थी।

त. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जिसके साथ ही उन सभी से यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने अनुरोध के अगोपनीय पाठ को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

थ. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 8 अक्टूबर 2024 को हाइब्रिड मोड में आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों के लिखित अनुरोध दाखिल करें, जिसके बाद यदि कोई प्रत्युत्तर (रिज्वाइंडर) अनुरोध हो तो प्रस्तुत करें।

द. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर, जहाँ भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

ध. क्षति जांच अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन देन वार ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी द्वारा इसे प्राप्त कर लिया गया है और इस पर इस प्रकटीकरण विवरण में विचार किया गया है।

न. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए,जहां तक आवश्यक समझा गया, आवेदकों के परिसरों में भौतिक सत्यापन किया।

प. भारत में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत और उचित लाभ के आधार पर क्षतिरहित कीमत (जिसे इसके बाद 'एनआईपी' के रुप में कहा गया है) का निर्धारण किया गया है, जो सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना क आधार पर है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा अथवा नहीं।

फ. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचना पर उस सीमा तक विचार किया है, जहां तक कि वे साक्ष्यों से समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत पाए गए हैं।

ब. प्राधिकरण ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटीकरण विवरण 13 फरवरी 2025 को सभी इच्छुक

पक्षों को परिचालित किया। प्राधिकरण ने इन अंतिम निष्कर्षों में इच्छुक पक्षों द्वारा की गई सभी प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों की जांच प्रासंगिक समझी गई सीमा तक की है। कोई भी प्रस्तुतिकरण जो केवल पिछले प्रस्तुतिकरण का पुनरुत्पादन था, और जिसकी प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, उसे संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

भ. इस प्रकटीकरण विवरण में "***" एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना को दर्शाता है और नियमों के तहत प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किया गया है।

म. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर **1 अमेरिकी डॉलर = 82.51 रुपए** है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

4. जांच शुरुआत के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को इस प्रकार से परिभाषित किया गया था:

"2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन (पीपीएम) अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीने हैं जिन्हें इंजेक्शन प्रेसर के रूप में भी जाना जाता है जिनका प्रयोग प्लास्टिक सामग्री की प्रोसेसिंग और मोल्डिंग के लिए किया जाता है।

3. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में सभी प्रकार की ऐसी प्लास्टिक प्रोसेसिंग अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें शामिल हैं, जिनकी क्लैम्प फोर्स 40 टन से कम नहीं हो और 3200 टन से अधिक नहीं हो। विचाराधीन उत्पाद में पूरी तरह से असेंबल, सेमी नॉक्ड डाउन (एसकेडी), कम्पलीट नॉक्ड डाउन फॉर्म (सीकेडी), सब असेंबली मशीनें भी शामिल हैं।

क. सेमी नॉक्ड डाउन चरण में एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन से तात्पर्य है एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन जो पूरी तरह से असेंबल नहीं की गई है लेकिन प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन के रूप में लेन देन की जाती है जिसमें सभी आवश्यक घटक एक साथ फिट नहीं होते हैं और मशीन उपयोग के लिए तैयार नहीं होती है।

ख. कम्पलीट नॉक्ड डाउन चरण में प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन से तात्पर्य है एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन जो अपने अधूरे या अपूर्ण रूप में होती है, लेकिन एक साथ रखे

जाने पर पूरी मशीन की आवश्यक विशेषता रखती है, और इसमें व्यापक रूप से प्रयुक्त घटकों को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं।

ग. विशेष रूप से प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन के लिए सब- असेंबली।

4. तथापि, निम्नलिखित प्रकार के उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है :

- *i. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत उप शीर्ष 84773000 के तहत वर्गीकृत ब्लो मोल्डिंग मशीनें।*
- *ii. वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें।*
- *iii. सभी इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें जिनमें इंजेक्शन, मोल्डिंग क्लोजिंग, मोल्डिंग ओपनिंग, इजेक्शन, स्क्रू ड्राइव आदि जैसे यांत्रिक मूवमेंट स्वतंत्र सर्वो मोटर द्वारा नियंत्रित होते हैं और डिजिटल नियंत्रण प्रणाली वाले होते हैं और हाइड्रोलिक यूनिट के बिना होते हैं।*
- *iv. फुटवियर बनाने के लिए मल्टी-कलर/ मल्टी-मोल्ड मशीनरी, फुटवियर बनाने के लिए रोटरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी और फुटवियर सोल/ स्ट्रैप/ हील इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत उप-शीर्ष 8453 के तहत वर्गीकृत हैं।*
- *v. सेकेंड हैंड/ प्रयोग में लाई जा चुकी प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें।*

5. संबद्ध वस्तुओं को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 84 के अंतर्गत उप शीर्ष 84771100 और 84779000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. एसकेडी बॉडी/ कंपोनेंट/ पार्ट्स को शामिल करना अत्यधिक भ्रामक है। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि केवल ऐसी तैयार वस्तु को ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे

में माना जा सकता है, जिसकी घरेलू उद्योग द्वारा व्यावसायिक रूप से बिक्री की जाती है।

ख. नायलॉन केबल टाई बनाने के लिए आयातित मशीनें घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित प्रकार से भिन्न हैं। घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद एक मापदंड को पूरा कर सकता है, लेकिन सभी मापदंडों को पूरा नहीं करता है। ये मशीनें व्यावसायिक रूप से परस्पर बदलने के लिए योग्य नहीं हैं।

ग. पीसीएन को क्लैम्पिंग फोर्स की बजाय भार, माप और अन्य मापदंड के आधार पर माना जाना चाहिए। मशीनों का भार लागत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है क्योंकि भारी मशीनें अधिक टिकाऊ और महंगी होती हैं। पीसीएन को भार के लिए 80% और क्लैम्पिंग फोर्स जैसे तकनीकी मापदंड को 20% महत्व देते हुए प्रदान किया जाना चाहिए।

घ. "सेमी नॉक डाउन (एसकेडी) बॉडी/ कंपोनेंट/ पार्ट्स" शब्दावली अत्यधिक भ्रामक, अस्पष्ट और संदिग्ध है। इससे स्पेयर्स, पार्ट्स और अन्य वस्तुएं भी शामिल हो जाएंगी।

ड. प्राधिकारी को ऐसी असेंबली की सूची जारी करनी चाहिए जो उत्पाद के दायरे का भाग हैं।

च. प्रवंचना कानून को तभी लागू किया जा सकता है जब उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लागू हो। चूंकि वर्तमान में कोई शुल्क नहीं है, अत: प्रवंचना कानून को नई जांच में लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रवंचना की आशंका के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

छ. एसोसिएशन के ऐसे सदस्य हैं जो कंपोनेंट का उत्पादन कर रहे हैं, अत: यदि प्राधिकारी घटकों को शामिल करना चाहते है, तो उन उत्पादकों का डेटा प्राधिकारी के पास दाखिल किया जाना चाहिए और समेकित संयुक्त अगोपनीय पाठ सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रसारित किया जाना चाहिए।

ज. घरेलू उद्योग ने असेंबली/ कंपोनेंट का आयात किया है। उत्पाद के दायरे में घटक, असेंबली और सब- असेंबली शामिल हैं। अत: घरेलू उद्योग द्वारा अद्यतन आवेदन प्रदान किया जाना चाहिए था।

झ. "सेमी नॉक्ड डाउन (एसकेडी) बॉडी/ कंपोनेंट/ पार्ट्स" शब्द अत्यधिक भ्रामक, अस्पष्ट और अनेक अर्थों वाला है। शुल्क अथवा जांच के दायरे में केवल "पार्ट्स" को शामिल किया जाना स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुचित होगा। इसमें स्पेयर, पार्ट्स और अन्य वस्तुओं को भी शामिल किया जाना होगा।

ञ. विचाराधीन उत्पाद की लागत में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक मशीन का भार होता है। भारी मशीनें हल्की मशीनों की तुलना में महंगी होती हैं, क्योंकि भारी मशीनें मजबूत और टिकाऊ होती हैं। अत: पीसीएन पद्धति पर पहुंचने के लिए मशीन के भार को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

ग.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

6. आवेदकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. उत्पाद को निर्मित उपयोग- के लिए- तैयार उपकरण के रूप में, सब असेंबली के रूप में अथवा सीकेडी/ एसकेडी स्थितियों में आपूर्ति किया जा सकता है और उपभोक्ता इसे नगण्य मूल्य वर्धन के साथ असेंबल कर सकता है।

ख. प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों में कई सब असेंबली शामिल हैं। उपभोक्ताओं के पास उत्पादन प्रक्रिया, सीकेडी, एसकेडी और यहां तक कि सब असेंबली के भाग में उत्पाद खरीदने का विकल्प है।

ग. उपभोक्ता महत्वपूर्ण कंपोनेंट को अलग से और अन्य पार्ट्स को अलग से आयात कर सकता है और अपने स्थान पर असेंबल कर सकता है। इन पार्ट्स को असेंबल करने में शामिल प्रचालनों में बड़े तकनीकी निवेश अथवा तकनीकी सूचनाएं शामिल नहीं हैं।

घ. मेसर्स हुआवेई टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले के सेस्टेट मामले का संदर्भ दिया गया है; जिसमें यह माना गया है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे को इस तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए जिससे कि इसमें किसी प्रवंचना से बचा जा सके।

ड़. यदि सीकेडी और एसकेडी रुप को दायरे में शामिल नहीं किया जाता है, तो शुल्क लगाए जाने के बाद भी आयात जारी रहेंगे। एमएसएमई क्षेत्र को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिससे प्रचालन शटडाउन होने का जोखिम बढ़ेगा।

च. उत्पाद के दायरे में सीकेडी, एसकेडी और सब असेंबली को शामिल करना उचित है क्योंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने स्वयं ही यह दावा किया है कि उन्होंने इन रूपों में उत्पाद को निर्यात किया है।

छ. भारतीय उद्योग ने नायलॉन केबल टाई उत्पादन के लिए मशीनों का निर्माण और आपूर्ति की है। आवेदकों ने इन मशीनों को केबल टाई और संबंधित उत्पादों के प्रमुख डाउनस्ट्रीम निर्माताओं को आपूर्ति की है।

ज. क्लैम्पिंग फोर्स विचाराधीन उत्पाद के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त शब्द है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन और प्लांट इंडिया समग्र बाजार को टन के आधार पर वर्गीकृत करता है।

झ. जब उपाय लागू थे, तो पार्ट्स, कंपोनेंट, असेंबली और सब असेंबली का आयात किया जा रहा था। तथापि, उपायों के समाप्त होने के बाद, केवल पूरी मशीनों का आयात किया जा रहा है।

ञ. चीन और ताइवान के उत्पादकों ने यह दावा किया है कि वे उत्पाद को सीकेडी/ एसकेडी और सब असेंबली के रूप में निर्यात करते हैं। तथापि, आवेदकों को इन निर्यातों के सही सही विवरण के बारे में जानकारी नहीं है।

ट. उत्पाद को या तो पूरी तरह से असेंबल की गई मशीन के रूप में या पार्ट्स (सीकेडी/ एसकेडी) के रूप में आपूर्ति किया जा सकता है। उत्पादक या तो तैयार उपकरण या सब-असेंबली रूप में या सीकेडी/ एसकेडी की स्थिति में निर्यात किए जा सकते हैं, जिसमें भारत में न्यूनतम मूल्य वर्धन की आवश्यकता होती है। वर्तमान जांच में सीकेडी और एसकेडी को शामिल किया जाना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें बाहर करने से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी इन रूपों में आयात जारी रहेगा।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद प्लास्टिक प्रोसेसिंगग मशीनें (पीपीएम) अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें हैं, जिन्हें इंजेक्शन प्रेसर के रूप में भी जाना जाता है, जिनका उपयोग प्लास्टिक सामग्री की प्रोसेसिंग और मोल्डिंग के लिए किया जाता है।

8. जांच शुरुआत के समय विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार की प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें थीं, जिनमें क्लैम्पिंग फोर्स 40 टन से कम नहीं हो और 3200 टन से अधिक नहीं हो, जिनका उपयोग प्लास्टिक सामग्री की प्रोसेसिंग अथवा मोल्डिंग के लिए किया जाता था। दायरे में नीचे उल्लिखित उत्पाद शामिल थे : -

i. सेमी नॉक्ड डाउन चरण में एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन, जिसका तात्पर्य एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन से है, जो पूरी तरह से असेंबल नहीं की गई है, लेकिन

एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन के रूप में संचालित की जाती है जिसमें सभी आवश्यक सब असेंबली एक साथ फिट नहीं होती हैं और मशीन उपयोग के लिए तैयार नहीं होती है।

ii. कम्पलीट नॉक्ड डाउन चरण में एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन जिसके तात्पर्य से अपने अधूरे अथवा अपूर्ण रूप में एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन को एक साथ रखे जाने पर पूरी मशीन की आवश्यक विशेषता रखती है और इसमें व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कंपोनेंट को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण कंपोनेंट शामिल होते हैं।

iii. प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों के उत्पादन के लिए विशेष रूप से अभिप्रेत एक अथवा अधिक सब असेंबली।

9. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में निम्नलिखित उत्पाद शामिल नहीं हैं :

i. उप शीर्षक 8477 30 00 के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अंतर्गत वर्गीकृत ब्लो मोल्डिंग मशीनें।

ii. वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें।

iii. सभी इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें जिनमें इंजेक्शन, मोल्डिंग क्लोजिंग, मोल्डिंग ओपनिंग, इजेक्शन, स्क्रू ड्राइव आदि जैसी यांत्रिक गतिविधियाँ स्वतंत्र सर्वो मोटर्स द्वारा नियंत्रित होती हैं और डिजिटल नियंत्रण प्रणाली होती है तथा हाइड्रोलिक इकाई के बिना होती हैं।

iv. फुटवियर बनाने के लिए मल्टी-कलर/ मल्टी-मोल्ड मशीनरी, फुटवियर बनाने के लिए रोटरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी और फुटवियर सोल/ स्ट्रैप/ हील इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अंतर्गत उप शीर्ष 8453 के तहत वर्गीकृत है।

v. सेकेंड हैंड/ प्रयोग में लाई जा चुकी प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें।

10. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 84 के अंतर्गत उप शीर्ष 84771100 और 84779000 के तहत वर्गीकृत किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह उल्लेख किया है कि उल्लिखित सीमा शुल्क वर्गीकरण गलत था। दिनांक 28 अगस्त 2024 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया था, जिसमें उप शीर्षों को 84771000 और 84779000 के रूप में स्पष्ट किया गया। यह नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

11. विचाराधीन उत्पाद, विचाराधीन उत्पाद के दायरे, सीकेडी अथवा एसकेडी रूपों में आयातों के संबंध में स्पष्टीकरण, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से विशिष्ट अपवर्जन और पीसीएन पद्धति के संबंध में विभिन्न मामलों को उठाया गया है। इन मामलों पर नीचे चर्चा की गई है।

12. प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन, जिसे सामान्यत: इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के रूप में जाना जाता है, एक विशेष औद्योगिक मशीन है जिसका उपयोग इंजेक्शन मोल्डिंग की प्रक्रिया द्वारा प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। इंजेक्शन मोल्डिंग एक विनिर्माण की प्रक्रिया है, जिसमें पिघले हुए प्लास्टिक को मोल्ड कैविटी में डाला जाता है, उसे ठंडा किया जाता है और एक तैयार आकार/ उत्पाद बनाने के लिए ठोस बनाया जाता है। प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन उच्च उत्पादन दक्षता का लाभ प्रदान करती है, और न्यूनतम अपशिष्ट के साथ टाइट टोलरेंस के साथ जटिल आकार बनाने की क्षमता प्रदान करती है।

13. प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों को विभिन्न प्रकार के साइज और क्षमताओं में निर्मित किया जाता है, जिन्हें क्लैम्पिंग फोर्स के संदर्भ में वर्णित किया जाता है। घरेलू उत्पादकों के साथ-साथ विदेशी उत्पादक विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों का निर्माण अलग-अलग क्लैम्पिंग फोर्स के साथ करते हैं। इसके अलावा, मशीनों में अतिरिक्त सुविधाएं हो सकती हैं, जैसे ग्राहकों को किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए अपेक्षित हो। विभिन्न टन भार वाली मशीनों का उपयोग विभिन्न उत्पादों के समूह की मोल्डिंग के लिए किया जाता है।

14. विचाराधीन उत्पाद की विनिर्माण की प्रक्रिया को मोटे तौर पर निम्नलिखित रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है -

क. अनेक अलग अलग सब असेंबली का निर्माण करने के लिए काफी संख्या में घटकों का निर्माण करना। एक सामान्य मशीन में 500 से 1500 विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट हो सकते हैं, जिन्हें 10 से 15 सब असेंबली में असेंबल किया जाता है।

ख. विभिन्न सब-असेंबली को अंतिम मशीन में जोड़ना

ग. परीक्षण और पेंटिंग।

घ. बड़े आकार की मशीनों के मामले में, परिवहन के प्रयोजन के लिए, असेंबल की गई मशीन को कुछ सब असेंबली में अलग किया जा सकता है।

ड़. पैकिंग और शिपमेंट।

15. घटकों के निर्माण की प्रक्रिया में (क) स्क्रू, बैरल और नोजल के साथ इंजेक्शन यूनिट, (ख) प्लेटेंस, टाई बार और सिलेंडर का उपयोग करके क्लैम्पिंग यूनिट, (ग) वेल्डिंग, कटिंग और सीएनसी मशीनिंग का उपयोग करके फ्रेम और बेस और (डी) इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम शामिल हैं।

16. इंजेक्शन यूनिट की सैंपल इमेज नीचे दी गई है : -

17. क्लैंपिंग यूनिट की सैंपल इमेज नीचे दी गई है : -

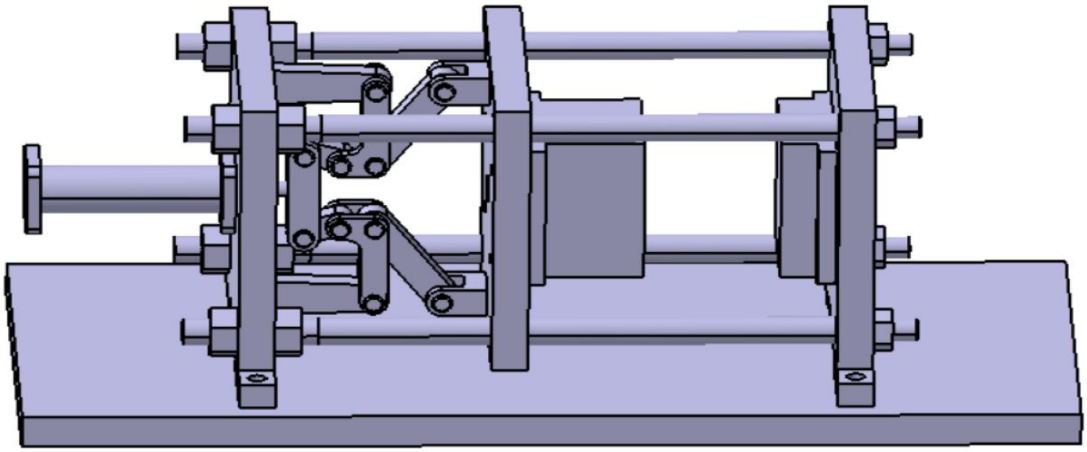

18. मशीन बेस फ्रेम की सैंपल इमेज नीचे दी गई है : -

19. इन सब असेंबली के निर्माण के बाद, इंजेक्शन यूनिट और क्लैम्पिंग यूनिट को पूर्ण मशीन तैयार करने के लिए जोड़ा जाता है। इन सब असेंबली को मशीन के फ्रेम पर लगाया जाता है और हाइड्रोलिक व इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ एकीकृत किया जाता है। इसके बाद मशीन के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जाती है।

20. परीक्षण प्रक्रिया के भाग के रूप में, मशीनों का उचित प्रेसर, प्रवाह दर और विद्युत कनेक्शन के लिए परीक्षण किया जाता है। इंजेक्शन प्रेसर और क्लैम्पिंग फोर्स के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए मशीन को कृत्रिम कार्यगत परिस्थितियों में संचालित किया जाता है।

21. भाग लेने वाले घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित पूर्ण प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं।

Futura 120
electronica
electronica

KL 1000
IU 10400

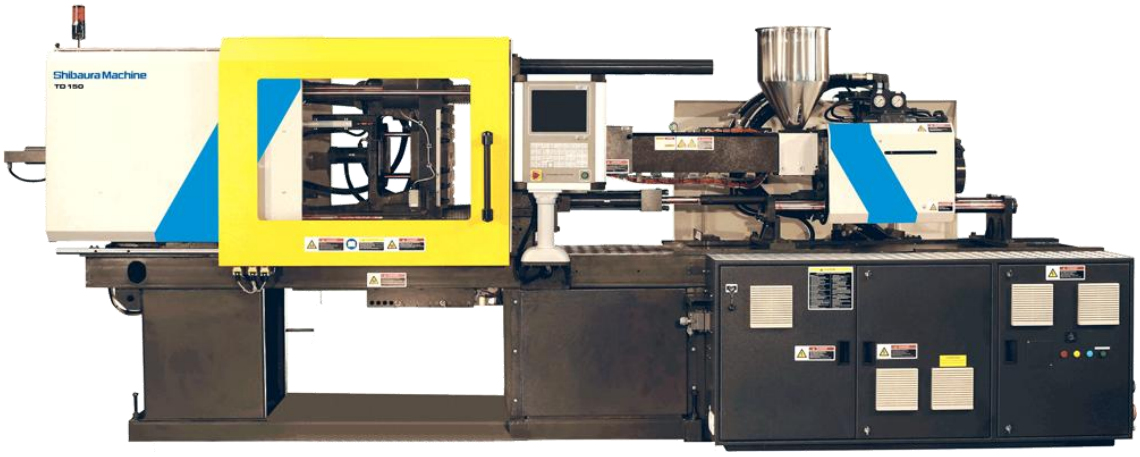
Shibaura Machine
TD 150

क. <u>विचाराधीन उत्पाद का दायरा</u>

22. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और प्रस्तावित पीसीएन पद्धति पर हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। तदोपरांत, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप देने के लिए दिनांक 30 अप्रैल 2024 को हितबद्ध पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श किया।

23. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे को 1500 टन तक क्लैम्पिंग फोर्स की मशीनों तक ही सीमित रखने का अनुरोध किया। विचाराधीन उत्पाद/ पीसीएन बैठक के दौरान, आवेदक ने इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद विचाराधीन उत्पाद के दायरे को 1500 टन तक के क्लैम्पिंग फोर्स की मशीनों तक सीमित कर दिया गया।

24. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद के सीकेडी, एसकेडी और सब असेंबली/पार्ट्स / कंपोनेंट को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता। इन्हें इस आधार पर बाहर करने की मांग की गई है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे में वे उत्पाद शामिल नहीं हो सकते जिन्हें भारत में आयात नहीं किया गया है।

25. आवेदक ने मेसर्स हुआवेई टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय का संदर्भ दिया है, जिसमें यह माना गया था कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा इस तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए कि जिससे अपेक्षित उद्देश्य पूरा हो सके।

26. प्राधिकारी उत्पाद की प्रकृति और उत्पादन की प्रक्रिया को नोट करते हैं। यह नोट किया जाता है कि उत्पादक पहले कई सब असेंबली का उत्पादन करते हैं और उसके बाद उन्हें तैयार मशीन के साथ जोड़ा जाता है। सब असेंबली की असेंबली में शामिल प्रक्रिया में महत्वपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया, संयंत्र और उपकरण, विनिर्माण कौशल, निवेश, जनशक्ति शामिल नहीं होती है। उत्पादन का मूल काम मशीनों को डिजाइन करना और कई सब असेंबली का निर्माण करना है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मशीनों को उपयोग- के लिए- तैयार पूरी तरह से असेंबल की गई मशीनों के रूप में अथवा एक या एक से अधिक पार्ट में और कई सब असेंबली के रूप में ले जाया जा सकता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्तर देने वाले चीन के उत्पादकों ने (i) कम्पलीट नॉक डाउन (सीकेडी) (ii) सेमी नॉक डाउन (एसकेडी) (iii) सब असेंबली और (iv) तैयार मशीनों के निर्यातों की सूचना दी है।

27. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि "विचाराधीन उत्पाद" का दायरा जांच के उद्देश्य और प्रयोजन तथा प्रस्तावित उपायों पर सीधा प्रभाव डालता है। विचाराधीन उत्पाद का व्यापक दायरा होने से यह जांच के संचालन और इसलिए उपायों के कार्यान्वयन में संभावित जटिलताओं के अलावा भारतीय उद्योग के लिए अनावश्यक उपचार का कारण बन सकता है। साथ ही, विचाराधीन उत्पाद का संकीर्ण दायरा होने से यह घरेलू बाजार में क्षतिकारी पाटन को संबोधित करने के अपेक्षित उद्देश्य को पूरा करने में विफल हो सकता है। विचाराधीन उत्पाद का संकीर्ण दायरा घरेलू उद्योग को अपेक्षित उपचार प्रदान नहीं कर सकता है और लागू किए गए उपायों से बचने के लिए आयातकों/ प्रयोक्ताओं द्वारा उपायों को अपनाए जाने के कारण घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हो सकती है।

28. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद एक पूंजीगत वस्तु है। यह आवश्यक नहीं है कि पूंजीगत वस्तुओं को पूरी तरह से असेंबल और उपयोग- के लिए- तैयार स्थिति में आयात किया जाए। बड़े आकार की मशीनों के लिए ऐसा करना संभव भी नहीं हो सकता है। लाने ले जाने में आसानी अथवा अन्य लॉजिस्टिक दृष्टि से, मशीनों को अन-असेंबल पार्ट्स के रूप में आयात किया जा सकता है, जिन्हें आयात के बाद असेंबल किया जाता है। मशीन को एसकेडी रुप में आयात करने से तैयार उत्पाद की आवश्यक प्रकृति और विशेषताओं में कोई बदलाव नहीं आता है। पूरी तरह से असेंबल की गई उपयोग- के लिए- तैयार मशीन और अन-असेम्बल की गई मशीन के बीच एकमात्र अंतर यही होता है कि उन्हें किस रूप में आयात किया जाता है।

29. किसी भी प्रयोक्ता के पास यह विकल्प होता है कि वह या तो निर्मित उपयोग- के लिए- तैयार पूरी मशीन को आयात करे अथवा एसकेडी या सब असेंबली के रुप में मशीन को आयात करके उसे भारत में असेंबल करे। भौतिक सत्यापन किए जाते समय यह देखने में आया है कि मशीनों को पूरी तरह से असेंबल किए गए रुप में एकल वस्तु के रूप में शायद ही कभी भेजा जाता हो । इन्हें सब असेंबली के रूप में ले जाया जाता है और उसके बाद उपभोक्ता के स्थान पर ही असेंबल किया जाता है। प्रयोक्ताओं के लिए एसकेडी स्थिति में मशीन आयात करना और उसे उसकी फैक्ट्री में असेंबल करना भी संभव है। अत: आवेदकों द्वारा अन-असेम्बल या एसकेडी रुप में उत्पाद का आयात होने की आशंका एक आधारहीन दावा नहीं है।

30. यह देखने में आया है कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन में काफी संख्या में कंपोनेंट शामिल होते हैं। कंपोनेंट की संख्या 500 से कम और 1500 तक हो सकती है। तथापि, क्लैम्पिंग यूनिट, इंजेक्शन यूनिट और मशीन बेस फ्रेम विचाराधीन उत्पाद का अभिन्न और आवश्यक अंग होता हैं। अन्य सब असेंबली में बैरल, केबल, स्ट्रेन रॉड, सिलेंडर, प्लेटेंस आदि जैसी वस्तुएं शामिल हैं। अन-असेंबल किए गए पार्ट्स (जैसे क्लैम्पिंग यूनिट, इंजेक्शन यूनिट और मशीन बेस) को एक पूरी मशीन में जोड़ना कोई महत्वपूर्ण प्रक्रिया नहीं है और इसमें केवल पार्ट्स को एक साथ जोड़ना शामिल होता है।

31. उत्पाद की प्रकृति, इसकी असेंबली मे आसानी, परिवहन के तरीके, अन- असेंबल/ अर्ध-असेंबल रूप में इसकी विशिष्टताओं और समानता को बनाए रखने और प्रवंचना की अधिक संभावना से संबंधित उपर्युक्त औचित्य पर विचार करते हुए, प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में कम्पलीट नॉक डाउन (सीकेडी) और सेमी- नॉक डाउन (एसकेडी) मशीनों और सब- असेंबली को शामिल करना उचित लगता है।

ख. <u>सीकेडी और एसकेडी रूप में आयातों के संबंध में स्पष्टीकरण</u>

32. जहां तक विचाराधीन उत्पाद के दायरे का संबंध है, हितबद्ध पक्षकारों ने सीकेडी और एसकेडी के तात्पर्य के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की है, अत: प्राधिकारी, जहां तक विचाराधीन उत्पाद के दायरे का संबंध है, इन शब्दों के अर्थ और व्याख्या को स्पष्ट करना उचित समझते हैं।

क. सेमी नॉक्ड डाउन (एसकेडी) के रूप में आयातों से तात्पर्य है प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन जो अधूरी अथवा अर्ध तैयार अवस्था में है, पूरी तरह से असेंबल नहीं की

गई है, लेकिन प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन के पार्ट्स के रूप में लेन देन की जाती है। ये पार्ट्स एक साथ फिट नहीं किए गए हैं और मशीन उपयोग- के लिए- तैयार नहीं है। एसकेडी रूप में आयातों से तात्पर्य विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए आवश्यक सभी एसकेडी अथवा सब असेंबली के आयातों से होगा। इसके अलावा, स्क्रू और बैरल अथवा मशीन बेस फ्रेम अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के लिए फैब्रिकेशन फ्रेम/ कवर के साथ अथवा उसके बिना कम्पलीट क्लैम्पिंग/ क्लैंप इकाई अथवा पूर्ण इंजेक्शन यूनिट का आयात विचाराधीन उत्पाद की आवश्यक सब असेंबली अथवा एसकेडी है और इसीलिए इन सब असेंबली अथवा एसकेडी का आयात विचाराधीन उत्पाद के दायरे में है।

ख. कम्पलीट नॉक डाउन (सीकेडी) से तात्पर्य है अपने कंपोनेंट रूप में एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन। ऐसे घटकों को एक साथ रखे जाने पर पूरी मशीन का आवश्यक स्वरुप होगा। सीकेडी रूप में आयातों से तात्पर्य विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए आवश्यक सभी कंपोनेंट के आयातों से होगा।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद के दायरे से विशिष्ट अपवर्जन</u>

33. हितबद्ध पक्षकारों ने इस आधार पर नायलॉन केबल टाई मोल्डिंग मशीनों को बाहर करने की मांग की है कि भारतीय उद्योग द्वारा उनका उत्पादन नहीं किया जा रहा था। घरेलू उद्योग ने इनके संबंध में की गई बिक्री के लिए बिक्री चालान प्रदान किए हैं। अत: इन्हें जांच के दायरे से बाहर करना उचित नहीं माना जाता है।

34. निम्नलिखित उत्पादों को विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है:-

क. उप शीर्ष 8477 30 04 के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अंतर्गत वर्गीकृत ब्लो मोल्डिंग मशीनें।

ख. वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें।

ग. सभी इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें जिनमें इंजेक्शन, मोल्डिंग क्लोजिंग, मोल्डिंग ओपनिंग, इजेक्शन, स्क्रू ड्राइव आदि जैसे यांत्रिक मूवमेंट स्वतंत्र सर्वो मोटर्स द्वारा नियंत्रित होते हैं और डिजिटल नियंत्रण प्रणाली वाले होते हैं और हाइड्रोलिक यूनिट के बिना होते हैं।

घ. फुटवियर बनाने के लिए मल्टी कलर/ मल्टी मोल्ड मशीनरी, फुटवियर बनाने के लिए रोटरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी और फुटवियर सोल/ स्ट्रैप/ हील इंजेक्शन

मोल्डिंग मशीन जो उपशीर्ष 8453 के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं।

ड. सेकेंड हैंड/ प्रयोग की जा चुकी प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें।

च. ऊपर निर्दिष्ट के अलावा किसी भी स्टैंडअलोन पार्ट्स/ घटकों का आयात।

छ. क्लैंपिंग/क्लैंप यूनिट, स्क्रू और बैरल के साथ अथवा बिना इंजेक्शन यूनिट, मशीन बेस फ्रेम और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के अलावा किसी अन्य मशीन के उत्पादन के लिए आयातित फैब्रिकेशन फ्रेम/ कवर का आयात।

घ. <u>पीसीएन कार्यप्रणाली</u>

35. हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी ने दिनांक 8 जुलाई 2024 की अधिसूचना के माध्यम से, वर्तमान जांच और प्रस्तावित निर्धारण के लिए संगत सूचना प्रदान करने के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन कार्यप्रणाली को स्पष्ट किया है।

36. हितबद्ध पक्षकारों ने पावर के प्रकार, मशीन की संरचना, सामग्री के प्रकार, क्लैंपिंग फोर्स, शॉट भार, टाई बार दूरी आदि के आधार पर पीसीएन को पीसीएन मापदंड के रूप में माना जाने का अनुरोध किया था।

37. यह देखने में आया कि इन उत्पादों के आयातों के संबंध में विगत पाटनरोधी जांच में भी इन मापदंडों के आधार पर पीसीएन के लिए अनुरोध किया गया था, जहां प्राधिकारी ने यह पाया : -

28. इस संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि टाई बार के बीच की दूरी, अधिकतम मोल्ड मोटाई, क्लैंप स्टोक और इंजेक्शन शॉट भार जैसे मापदंड केवल डिज़ाइन मापदंड हैं और इसलिए ये दोनों उत्पादों को अलग नहीं बनाते हैं। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन के निर्यातक जांच के किसी भी चरण में ऐसे मापदंडों में अंतर को पर्याप्त साक्ष्यों के साथ निर्धारित करने में विफल रहे हैं। आयातित मशीन के कम भार के संबंध में, प्राधिकारी का यह मानना है कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी जैसी मशीन में, भार कीमत निर्धारण मापदंड नहीं हो सकता है क्योंकि खरीदार अपेक्षित तकनीक और सुविधाओं के लिए भुगतान करते हैं न कि भार के लिए।

38. यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने विगत जांच में भी विभिन्न पीसीएन के लिए दावों को खारिज कर दिया था। हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान जांच में कोई नया तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत नहीं किया है।

39. पीसीएन मापदंड के रूप में शॉट भार के संबंध में, यह यह पाया गया था कि शॉट भार केवल मशीन द्वारा उत्पन्न किए गए आउटपुट के भार को निर्धारित करता है और विभिन्न शॉट भार मापदंड, लेकिन समान क्लैम्पिंग फोर्स के साथ विभिन्न प्रकार के विचाराधीन उत्पादों के उत्पादन की लागत को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक नहीं बनता है। यह समझा जाता है कि शॉट वेट और क्लैम्पिंग फोर्स अंतर संबद्ध मापदंड हैं और क्लैम्पिंग फोर्स को पहले से ही पीसीएन मापदंड के रूप में माना गया है। यह भी देखने में आया है कि विगत जांच में भी पीसीएन के रूप में शॉट भार के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया था।

40. पीसीएन मापदंड के रूप में मशीन संरचना (दो प्लेटन-तीन प्लेटन) के संबंध में, यह देखा गया है कि ये शॉट वेट पर निर्भर करते हैं और उत्पादन की लागत का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं हैं। जब शॉट भार स्वयं पीसीएन के निर्धारण के लिए एक संगत कारक नहीं है, तो मशीन संरचना स्वयं पीसीएन मापदंड के निर्धारण के लिए आधार नहीं बनती है। यह देखने में आया है कि विगत जांच में पीसीएन के रूप में यांत्रिक संरचना के लिए अनुरोध भी किया गया था, लेकिन प्राधिकारी द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया था।

41. जहां तक पीसीएन मापदंड के रूप में टाई बार दूरी का संबंध है, यह देखने में आया है कि टाई बार दूरी समान क्लैम्पिंग फोर्स वाले उत्पादों के भीतर महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं होती है। अकेले टाई बार दूरी का हिस्सा विचाराधीन उत्पाद की समग्र लागत में [***] से भी कम हिस्सा बनाता है। ऐसा होने पर, अलग-अलग टाई बार दूरी के कारण होने वाले परिवर्तन महत्वहीन होंगे।

42. यह देखा गया कि सीमा शुल्क डेटा में विचाराधीन उत्पाद के आयात विवरण में क्लैम्पिंग फोर्स के अलावा कोई अन्य विशिष्ट विशेषता नहीं है।

43. हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए क्लैम्पिंग फोर्स पर एकमात्र संगत मापदंड के रुप में विचार किया।

44. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे को निम्नानुसार परिभाषित करने का प्रस्ताव करते हैं :

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें (पीपीएम) अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें हैं, जिन्हें इंजेक्शन प्रेसर के रूप में भी जाना जाता है, जिनका उपयोग प्लास्टिक सामग्री की प्रोसेसिंग और मोल्डिंग के लिए किया जाता है।

विचाराधीन उत्पाद के दायरे में सभी प्रकार की प्लास्टिक प्रोसेसिंग अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें शामिल हैं, जिनमें क्लैम्पिंग फोर्स 40 टन से कम नहीं हो और 1500 टन से अधिक नहीं हो। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में पूरी तरह से असेंबल, सेमी नॉक्ड डाउन (एसकेडी), कम्पलीट नॉक्ड डाउन फॉर्म (सीकेडी), अथवा एसकेडी और सीकेडी के संयोजन में मशीनें शामिल हैं। दायरे को नीचे और भी स्पष्ट किया गया है -

क. सेमी नॉक्ड डाउन अवस्था में प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन से तात्पर्य एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन से होगा जो पूरी तरह से असेंबल नहीं की गई है, लेकिन एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन के रूप में लेन-देन की जाती है जिसमें पार्ट्स अथवा सब-असेंबली एक साथ फिट नहीं होती हैं और मशीन उपयोग के लिए तैयार नहीं होती है। सेमी नॉकडाउन मशीन में सब-असेंबली भी शामिल होगी जैसे क्लैम्पिंग/ क्लैम्प यूनिट, स्क्रू और बैरल के साथ या उसके बिना इंजेक्शन यूनिट, मशीन बेस फ्रेम और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए आयातित फैब्रिकेशन फ्रेम/ कवर।

ख. कम्पलीट नॉक डाउन अवस्था में प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन से तात्पर्य होगा प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन जो अपने अधूरे अथवा अर्ध तैयार रूप में हो, जिसे एक साथ रखे जाने पर उसमें पूरी मशीन का आवश्यक स्चरुप हो, और जिसमें मशीनों को असेंबल करने के लिए आवश्यक सभी घटक शामिल हों।

45. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग अलग-अलग क्लैम्पिंग फोर्स की मशीनों का उत्पादन करता है। घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मशीनें तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और इसलिए समान वस्तुएं हैं। ये उत्पाद प्रकार अपनी क्लैम्पिंग फोर्स की श्रेणियों के भीतर परस्पर समान उत्पाद हैं। अलग-अलग क्लैम्पिंग फोर्स की मशीनों का उत्पादन एक ही विनिर्माण सुविधा का उपयोग करके समान जनशक्ति और समान कच्ची सामग्री के साथ

किया जाता है। इस प्रकार उत्पादक अलग अलग क्लैम्पिंग फोर्स की मशीनों का उत्पादन कर सकते हैं और आसानी से एक प्रकार के उत्पादन से दूसरे प्रकार के उत्पादन पर स्विच कर सकते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु हैं।

घ. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और आधार</u>

घ.1 अन्य हितबद्ध पद्वाकारों द्वारा किए गए अनुरोध

46. घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. शिबौरा मशीन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और मिलाक्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और आवेदन में मिथ्या वर्णन और घोषणाएं की हैं कि उन्होंने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

ख. शिबौरा मशीन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की एक संबद्ध कंपनी - शिबौरा मशीन (शंघाई) कंपनी लिमिटेड है। शिबौरा शंघाई ने भारत में अपनी संबद्ध कंपनी को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।

ग. विनिर्माण से तात्पर्य है कुछ निर्माण करने अथवा असेंबल करने की प्रक्रिया, विशेष रूप से किसी फैक्ट्री में। इस प्रकार, जो निर्माता पार्ट्स/ कंपोनेंट को असेंबल कर रहे हैं और अंतिम उत्पाद तैयार रहे हैं, उन्हें विनिर्माता माना जाएगा।

घ. हैतियन या तो भारत में या अन्य भारतीय विनिर्माताओं/ विक्रेताओं से मशीनों के प्रमुख कंपोनेंट का उत्पादन अथवा खरीद कर रहा है।

ड़. यह कथन कि हैतियन हर माह 100 मशीनें आयात करता है और उन्हें भारतीय बाजार में बेचता है, गलत और निराधार है। हैतियन भारत में 70-80 % मशीनों का निर्माण कर रहा है और केवल विशिष्ट मशीनों का आयात कर रहा है, जो भारत में उत्पादित नहीं हैं।

च. भारत में संबद्ध वस्तुओं के अन्य उत्पादक होने के बावजूद, घरेलू उद्योग केवल सीमित उत्पादकों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो आवेदन की पूर्णता और निष्पक्षता पर चिंता उत्पन्न करता है।

छ. ऐसे कई अन्य उत्पादक हैं जो चीन से कुछ पार्ट्स / कंपोनेंट का आयात कर रहे हैं और घरेलू उद्योग की तरह भारत में कुछ पार्ट्स को खरीदकर यहां मूल्य वर्धन कर रहे हैं।

ज. जब अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने स्व-आयात संबंधी चिंताएं व्यक्त की थी, तो घरेलू उद्योग ने चुनिंदा रूप से कुछ असेंबली को बाहर रखा, जिसका तात्पर्य यह था कि केवल वे ही दायरे में थीं। घरेलू उद्योग ने इन पहचानी गई असेंबली का आयात किया है।

झ. आवेदकों को पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता क्योंकि उन्होंने यह प्रकटन नहीं किया कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है।

ञ. समर्थन पत्रों के माध्यम से अन्य उत्पादकों द्वारा दायर की गई सूचना के लिए अन्य उत्पादकों के उत्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई सूचना के साथ मिलान किया जाना चाहिए।

ट. घरेलू उद्योग बाजार में केवल पूर्ण मशीनों का उत्पादन और बिक्री कर रहा है और कंपोनेंट को नहीं बेच रहा है। आश्चर्यजनक रूप से, वे उत्पादक जो व्यापारिक बाजार में घटकों का उत्पादन और बिक्री कर रहे हैं, उन्हें घरेलू उद्योग के रूप में शामिल नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि प्राधिकारी के पास कोई बिक्री कीमत, कोई लागत और कोई एनआईपी उपलब्ध नहीं होगा।

ठ. घरेलू उद्योग द्वारा पहचाने गए 19 अन्य उत्पादकों के अलावा कम से कम 10 अन्य उत्पादक हैं। डीजीटीआर को यह जांच करनी चाहिए कि क्या पाटनरोधी करार के तहत घरेलू उद्योग का भारत में कुल भारतीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा शामिल हैं।

घ.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

47. आवेदकों द्वारा घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. वर्तमान आवेदन प्लास्टिक मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीएमएमएआई) द्वारा दाखिल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिका प्लास्टिक मशीन्स लिमिटेड, मिलक्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, शिबौरा मशीन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और विंडसर मशीन्स लिमिटेड ने संगत डेटा प्रदान किया है।

ख. भाग लेने वाले उत्पादकों ने पूरी तरह से असेंबल की गई इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, एसकेडी/ सीकेडी रुप में मशीनों का आयात नहीं किया है।

ग. अन्य उत्पादकों अर्थात् अविन्या मशीनरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, घनश्याम इंजीनियरिंग कंपनी, जेएच-वेलटेक मशीन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मून मशीनरी ई. पॉलीमेचप्लास्ट मशीन्स लिमिटेड, पार्थ इंजीनियरिंग वर्क्स, सुपरमैक मशीनरी और स्विफ्ट ऑक्सी टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड ने आवेदन का समर्थन किया है।

घ. भाग लेने वाले उत्पादक संबद्ध देशों में किसी भी उत्पादक अथवा भारत में उत्पाद के किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं हैं। भाग लेने वाले उत्पादकों की भारतीय उत्पादन में 50% से अधिक हिस्सेदारी शामिल है।

ड़. हैतियन प्लास्टिक मशीनरी ग्रुप भारत में उत्पाद का सबसे बड़ा निर्यातक है और 2000 से निर्यात कर रहा है। जब 2005 में पाटनरोधी उपाय लागू किए गए थे, तो कंपनी ने अपने निर्यात को कम कर दिया था और भारत में एक असेंबली यूनिट शुरू की थी, जो एसकेडी रुप में मशीनों का आयात करती थी, उन्हें असेंबल करती थी और भारतीय उपभोक्ताओं को आपूर्ति करती थी।

च. जब वर्ष 2021 में उपाय समाप्त हो गए, तो हैतियन प्लास्टिक मशीनरी ग्रुप ने अपने असेंबली के प्रचालन को पूरी तरह से बंद कर दिया और पूर्ण मशीनों का आयात करना शुरू कर दिया। हैतियन ने जांच की अवधि के दौरान उत्पाद को पूरी तरह से असेंबल और सीकेडी/ एसकेडी स्थिति में आयात किया है।

छ. हैतियन को उसके असेंबली प्रचालन के कारण घरेलू उत्पादक के रूप में दर्शाया गया था, जो वर्ष 2021 के बाद ही बंद हुआ। आवेदकों ने घरेलू उत्पादन का पता लगाने में हैतियन पर विचार नहीं किया है। हैतियन को उसके आयातों की मात्रा के आधार पर एक आयातक के रुप में माना जाना चाहिए न कि एक उत्पादक के रुप में।

ज. शिबौरा मशीन (शंघाई) कंपनी लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद की एक उत्पादक नहीं है। वह सभी इलेक्ट्रिक मशीनें बनाते हैं जो उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

झ. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि भारत में 93 उत्पादक हैं, हितबद्ध पक्षकारों ने इन 93 उत्पादकों के नाम और पते, क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्लैम्पिंग फोर्स के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है।

ञ. नियमों के तहत आधार का निर्धारण उत्पादन से होता है, न कि उत्पादकों की संख्या से होता है। हितबद्ध पक्षकार ने यह नहीं दर्शाया है कि आवेदक का उत्पादन भारतीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा नहीं है। अन्य उत्पादकों में से अधिकांश 40 टन से कम क्लैम्पिंग फोर्स की छोटी मशीनें बनाते हैं।

ट. सबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों से तात्पर्य है कि वे मशीनों अथवा संबद्ध वस्तुओं का भाग बनने वाली सब असेंबली के उत्पादन में शामिल हैं अथवा नहीं, उन्हें उत्पादक माना जाना आवश्यक है। तथापि, अगर किसी कंपनी ने एक या अधिक सब असेंबली का उत्पादन किया है और उसे मशीन निर्माता को आपूर्ति की है, तो मात्रा की गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे दोहरी गणना हो जाएगी।

ठ. हैतियन इंडिया भारत में संबद्ध वस्तुओं का केवल एक रीसेलर और व्यापारी है। आयात संबंधी डेटा से यह पता चलता है कि हैतियन ने जांच की अवधि में करीब 900 प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों का आयात किया है।

ड. जांच शुरुआत अधिसूचना के बावजूद, हैतियन ने कोई रुचि नहीं दिखाई है। यद्यपि प्राधिकारी हैतियन को अन्य भारतीय उत्पादकों के रूप में मानते है, लेकिन हैतियन ने अपने उत्पादन के बारे में सूचना प्रदान नहीं की है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

48. घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों की जांच की गई है और नीचे उनका समाधान किया गया है।

49. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :-

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।"

50. यह आवेदन प्लास्टिक मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीएमएमएआई) द्वारा दाखिल किया गया है। आवेदन विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों की ओर से दाखिल किया गया था। इलेक्ट्रॉनिका प्लास्टिक मशीन्स लिमिटेड, मिलाक्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, शिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और विंडसर मशीन्स लिमिटेड ने वर्तमान जांच से संबंधित सूचना प्रदान की है और विशेष रूप से पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध

किया है। प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि आवेदक कंपनियों का उत्पादन भारत में समान वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का 57% है।

51. प्राधिकारी को अविन्या मशीनरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, घनश्याम इंजीनियरिंग कंपनी, जेएच-वेलटेक मशीन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मून मशीनरी, पॉलीमेचप्लास्ट मशीन्स लिमिटेड, पार्थ इंजीनियरिंग वर्क्स, सुपरमैक मशीनरी और स्विफ्ट ऑक्सी टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड से वर्तमान आवेदन का समर्थन करने के लिए पत्र प्राप्त हुए हैं।

52. इस तर्क के संबंध में कि शिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शिबौरा मशीन (शंघाई) कंपनी लिमिटेड, चीन से संबंधित है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शिबौरा मशीन (शंघाई) कंपनी लिमिटेड, चीन सभी विद्युत मशीनों का निर्माता है। घरेलू उद्योग ने इस संस्था द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में सूचना प्रदान की है। यह देखने में आया है कि उत्पादक ने इलैक्ट्रिक मशीनों का निर्यात किया है जो वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। अत: वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने शिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पात्र घरेलू उद्योग के रुप में माना है।

53. इस संबंध में कि शिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मिलाक्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से आयात किया है, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन वार आयात संबंधी आंकड़ों का सत्यापन किया है और यह पाया है कि शिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मिलाक्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से आयात नहीं किया है। इन संस्थाओं ने ऐसे घटकों का आयात किया है जो विचाराधीन उत्पाद का भाग नहीं हैं।

54. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए इस तर्क के संबंध में कि हैतियन इंडिया एक आयातक नहीं है बल्कि यह भारत में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है, अत: यह नोट किया जाता है कि किसी भी प्रतिवादी पक्षकार ने कोई आनुभविक सूचना प्रदान नहीं की है और अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य भी नहीं प्रदान किए गए हैं। हैतियन इंडिया को सूचना भेजी गई थी जिसमें उनसे उत्पादित मशीनों के उत्पादन और बिक्री का विवरण, आयातों का बिल-वार विवरण, स्थापित संयंत्रों और मशीनरी का विवरण आदि जैसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। तथापि, हैतियन इंडिया ने मांगी गई सूचना का उत्तर नहीं दिया है। चूंकि वे कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहे, अत: प्राधिकारी ऐसे दावों की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सके।

55. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अधिक घरेलू उत्पादकों की मौजूदगी के संबंध में दिए गए तर्क के संबंध में, प्राधिकारी का यह मानना है कि आधार का निर्धारण करने की कानूनी आवश्यकता उत्पादन की मात्रा पर आधारित है, न कि उत्पादकों की संख्या पर। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों का उत्पादन भारतीय उत्पादन का प्रमुख भाग नहीं है अथवा याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादक नियम 2(ख) के साथ पठित नियम 5 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में विफल रहे हैं, अत: प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया है।

56. आवेदक भारत में किसी आयातक अथवा संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक से संबद्ध नहीं हैं और उन्होंने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। नीचे दी गई तालिका में कुल भारतीय उत्पादन में भाग लेने वाले उत्पादकों का हिस्सा दर्शाया गया है :

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	अक्टू. 22 से सित. 23
1	भाग लेने वाले उत्पादकों का उत्पादन	संख्या	3,895
2	अन्य भारतीय उत्पादक	संख्या	2,925
3	कुल भारतीय उत्पादन	संख्या	6,820
	प्रतिशत में हिस्सा		
4	आवेदक	%	57.11
5	अन्य भारतीय उत्पादक	%	42.89

57. अत: रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का यह मानना है कि आवेदक नियम 2(ख) के तात्पर्य से "घरेलू उद्योग" हैं और यह विचार करने का प्रस्ताव करते हैं कि यह आवेदन नियम 5 के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

ङ. <u>गोपनीयता और विविध अनुरोध</u>

ङ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

58. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आवेदकों ने व्यापार सूचना 10/2018 का उल्लंघन किया है। वे उत्पादन मात्रा, क्षमता उपयोग प्रतिशत, बिक्री मात्रा, बिक्री कीमत, कर्मचारियों की संख्या, प्रति दिन उत्पादकता, वस्तुसूची, अनुसंधान और विकास व्यय, पीबीआईटी, ब्याज/ वित्त लागत, मूल्यह्रास के संबंध में वास्तविक सूचना प्रदान करने में विफल रहे हैं।

ख. आवेदक व्यापार उपचार जांचों के स्वभाविक प्रयोक्ता हैं। उन्होंने 10 वर्षों से अधिक समय तक पाटनरोधी शुल्क का लाभ उठाया है। शुल्क ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और भविष्य में इसकी आवश्यकता नहीं है। संबद्ध देश से आयात में कमी आई है और इससे आवेदकों को कोई क्षति नहीं हो रही है।

ग. पाटनरोधी शुल्कों के माध्यम से 13 वर्षों से भी अधिक समय तक संरक्षण रहने के बावजूद, ये घरेलू उत्पादक बाजार में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में विफल रहे हैं, जो इन उपायों पर निर्भरता को दर्शाता है।

घ. हैतियन वर्तमान जांच में एक हितबद्ध पक्षकार है क्योंकि प्राधिकारी ने दिनांक 3 अप्रैल 2024 को ईमेल के माध्यम से संबद्ध वस्तु के सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया है। पहला ईमेल हैतियन को भेजा गया था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने स्वयं ही हैतियन हुआयुआन मशीनरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के लिए अन्य भारतीय उत्पादकों के रूप में उल्लेख किया है।

ङ. घरेलू उद्योग पूर्वव्यापी शुल्क लगाने का मामला बनाने में विफल रहा है।

च. प्राधिकारी द्वारा विचार में ली गई जांच की अवधि अनुपयुक्त है और यह बाजार की स्थितियों का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं करती है। आधार वर्ष कोविड 19 से प्रभावित है और वर्ष 2021-22 में लॉकडाउन और महत्वपूर्ण बाजार संबंधी व्यवधान थे। वर्ष 2022-23 आयातों में तेजी के बजाय आयातो में वृद्धि के साथ सामान्य स्थिति में वापसी को दर्शाता है।

छ. एआईपीएमए ने दिनांक 9 अप्रैल 2024 के पत्र के माध्यम से हितबद्ध पक्षकारों के रूप में विधिवत पंजीकरण किया है। नियम 6 (4) के तहत, प्राधिकारी सूचना के लिए अनुरोध कर सकते हैं। तथापि, एआईपीएमए से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया था, जो यह दर्शाता है कि हमने घरेलू उद्योग के आरोपों के विपरीत, अपने दायित्वों की उपेक्षा नहीं की है।

ज. एआईपीएमए, सीपीआईएमए ने एक उद्योग एसोसिएशन के रूप में सक्रिय रूप से भाग लिया था, जिसने सुनवाई के दौरान और दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को

लिखित अनुरोधों के रुप में तर्क प्रस्तुत किए। एआईपीएमए और सीपीआईएमए को पूर्व की जांचों में जैसे चीन जन. गण. से "60 डेनियर से अधिक के विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न" के संबंध में दिनांक 9 अगस्त 2021 की अंतिम जांच परिणाम संख्या 6/26/2020- डीजीटीआर मामले में मान्यता दी गई है।

झ. एआईपीएमए और सीपीआईएमए के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित दस्तावेज प्रदान करने की कोई बाध्यता नहीं है, जबकि वे आवेदक एसोसिएशन के लिए विशेष रूप से आवश्यक हैं। ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेज मैनुअल पर संदर्भ दिया गया है।

ड.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

59. आवेदकों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं : -

क. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में विलंब से अनुरोध किए गए हैं। प्राधिकारी ने जांच आरंभ अधिसूचना में यह बताया है कि आवेदन के एनसीवी को परिचालित किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर टिप्पणियां की जानी चाहिए।

ख. व्यापार सूचना 10/2018 में वास्तविक आधार पर बिक्री कीमत और लाभप्रदता के संबंध में सूचना की आवश्यकता है। तथापि, वास्तविक आधार पर सूचना के प्रकटीकरण से कीमत और लागत की ऐसी सूचना का प्रकटीकरण हो सकता है जो संवेदनशील प्रकृति की है।

ग. सीपीएमआईए, एआईपीएमए और ओपीपीआई नियम 6 और 7 के तहत निर्धारित दायित्वों का पालन करने में विफल रहे हैं, जिससे वे वर्तमान जांच में खुद को हितबद्ध पक्षकार के रूप में स्थापित करने में विफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकार संगत प्रश्नावली का उत्तर देने में विफल रहे हैं।

घ. सीपीएमआईए चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/ निर्यातकों को समर्पित एक एसोसिएशन नहीं है। 28 उत्पादकों/ निर्यातकों में से केवल चेन डे प्लास्टिक मशीनरी ने वर्तमान जांच में भाग लिया है।

ड. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, पाटनरोधी नियम और डब्ल्यूटीओ एडीए के तहत घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले अनुचित आयातों के खिलाफ व्यापार उपचार उपायों का अनुरोध किए जाने की अनुमति है। इस संबंध में कोई सीमा नहीं है कि उद्योग कितनी बार उपायों की मांग की जा सकती है।

च. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि जांच की अवधि में मांग में सुधार आया है और कोई तेजी नहीं है, कोविड के बाद की मांग के भारतीय उद्योग के बजाय चीन की ओर स्थानांतरित होने का कोई औचित्य नहीं है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के

दौरान आयातों में वृद्धि यह प्रमाणित करती है कि कोविड के कारण आयात बंद नहीं हुए हैं।

छ. इसके अलावा, चीन के उत्पादकों ने मशीनों को डिलीवर करने में करीब 1 वर्ष का समय लिया है। डिलीवर करने में हुआ यह विलंब उनके त्वरित लीड टाइम के दावों का खंडन करता है। मांग में वृद्धि होने के बावजूद, भारतीय उद्योग क समक्ष घरेलू बिक्री में गिरावट देखने में आई, जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि इसका कारण आयातों का होना है।

ज. भारतीय उद्योग का उत्पाद प्रोफाइल क्षति अवधि के दौरान समान रहा है, जिसमें छोटी मशीनों को बड़ी मशीनों की तुलना में बहुत कम समय की आवश्यकता होती है। यह दर्शाता है कि आवेदक को बिक्री की मात्रा की हानि हुई है, क्योंकि सकल घरेलू बिक्री पर लाभ में तेजी से गिरावट आई है।

झ. हैतियन व्यापार सूचना 11/2018 के अनुसार पंजीकृत हितबद्ध पक्षकार के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराने में विफल रहे हैं। अत: हैतियन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे यहां तक कि पंजीकृत भी नहीं हैं।

ड.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

60. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार, विभिन्न पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया था।

61. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमों के नियम 7 में प्रावधान इस प्रकार हैं:

*"**गोपनीय सूचना - (1)** नियम 6 के उप नियम (2), (3) एवं (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उप नियम (4) तथा नियम 17 के उप नियम (4) में किसी भी बात के होते हुए भी नियम 5 के उप नियम (1) के प्राप्त आवेदनों की प्रतियाँ या जाँच की प्रक्रिया में किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदत्त कोई अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसकी गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट होने पर ऐसी सूचना को गोपनीय माना जाएगा और ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना ऐसी सूचना किसी अन्य पक्षकार के समक्ष प्रकट नहीं की जाएगी।*

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षकारों से प्रस्तुत की गई किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा नहीं जाएगी और यदि सूचना यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के विचार से ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव न हो तो उसका कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(3) उप नियम (2) की किसी बात के होते हुए भी यदि प्राधिकारी को यह विश्वास है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या उसे सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकट करने का प्राधिकार देने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।"

62. गोपनीयता के संबंध में आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों के लिए, जहां तक संगत पाया गया, प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है और तदनुसार उनका समाधान किया गया है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर, गोपनीयता के दावों को, जहां कहीं भी आवश्यक था, स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीयता के आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीयता के आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।

63. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग व्यापार उपचार उपायों का एक स्वभाविक प्रयोक्ता है और 10 वर्षों से भी अधिक समय से पाटनरोधी शुल्क का लाभ उठा रहा है, अत: प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विदेशी उत्पादकों/ निर्यातकों की अनुचित व्यापार प्रथाओं से निवारण की मांग करने की घरेलू उद्योग द्वारा संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है अथवा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिशें प्राधिकारी द्वारा जांच के बाद और अपेक्षित कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर ही की जाती हैं।

64. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सीपीएमआईए ने संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के उन उत्पादकों/ निर्यातकों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, जिन्होंने सीपीएमआईए को इस जांच में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया है। इसके अलावा,

सीपीएमआईए, एआईपीएमए और ओपीपीआई ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल अपने सदस्यों की सूची प्रस्तुत नहीं की है। एआईपीएमए और ओपीपीआई ने प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से प्राधिकार पत्र उपलब्ध नहीं कराए हैं। एआईपीएमए और ओपीपीआई के किसी भी सदस्य ने निर्धारित फार्मेट में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि इन एसोसिएशनों द्वारा किए गए विधिक अनुरोधों पर वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए विचार किया गया है, लेकिन एसोसिएशनों के सदस्य असहयोगी हैं और एसोसिएशनों ने पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध और अपने सदस्यों पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के निर्धारण के लिए संगत सत्यापन योग्य सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

65. जांच की अवधि की उपयुक्तता और कोविड के बाद की स्थिति के सामान्य होने के कारण आयातों में वृद्धि के संबंध में अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान लगातार वृद्धि देखने में आई है। यद्यपि आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने में आई है, लेकिन घरेलू उद्योग की बिक्रियों के लिए यह अच्छी नहीं पाई गई है। अत: प्राधिकारी इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

च. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

च. 1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गए अनुरोध

66. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. विश्व व्यापार संगठन में चीन के प्रवेश पर प्रोटोकॉल के संगत प्रावधान वर्ष 2016 में समाप्त हो गए और चीन को अब गैर-बाजार अर्थव्यवस्था नहीं माना जा सकता।

ख. ताइवान को चीन का सरोगेट देश माना जा सकता है। मशीनरी के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण ताइवान के सहकारी निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर किया जाना चाहिए।

च.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध।

67. आवेदकों ने सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध
किए हैं:

क. निर्यातकों को यह सिद्ध करना था कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत काम कर रहे थे। हालांकि, चीन के किसी भी उत्पादक ने एमईटी के लिए आवेदन नहीं किया है। इसलिए, एमईटी की अनुपस्थिति में, सामान्य मूल्य भारत में देय मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

ख. फू चुन शिन (निंगबो) मशीनरी मैन्यूफैक्चर कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत को किए गए निर्यात में विगत वर्ष की तुलना में 400% की वृद्धि हुई, जबकि अन्य देशों को किए गए निर्यात और घरेलू बिक्री में तेजी से गिरावट आई।

ग. चेन ह्सोंग मशीनरी (शेन्ज़ेन) कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत को किए गए निर्यात में विगत वर्ष की तुलना में 300% की वृद्धि हुई, जबकि अन्य देशों को निर्यात में केवल 3% की वृद्धि हुई तथा घरेलू बिक्री में तीव्र गिरावट आई।

घ. फोशान शुंडे चेन डे प्रिसिजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत को किए गए निर्यात में जांच अवधि में 15 गुना से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि अन्य देशों को निर्यात में केवल 1% की वृद्धि हुई और घरेलू बिक्री में केवल 10% की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में भारत को निर्यात बिक्री में 32% की वृद्धि हुई, जबकि अन्य देशों को निर्यात बिक्री में केवल 4% की वृद्धि हुई।

ङ. यिजुमी मशीनरी (सूज़ौ) कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत को किए गए निर्यात में विगत वर्ष की तुलना में 383% की वृद्धि हुई, जबकि अन्य देशों को निर्यात और घरेलू बिक्री में क्रमशः 27% और 15% की गिरावट आई।

च. एंगेल मशीनरी (शंघाई) कंपनी लिमिटेड, एंगेल मशीनरी (चांगज़ौ) कंपनी लिमिटेड और हुआरोंग प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर अधूरे हैं क्योंकि उन्होंने परिशिष्ट 6-10 दायर नहीं किया है। उन्हें गैर सहयोगी माना जाना चाहिए और उन्हें अलग अलग पाटन मार्जिन नहीं दिया जाना चाहिए।

छ. प्राधिकारी संबद्ध देशों का हिस्सा बनने वाले किसी देश को सरोगेट देश नहीं मानते है।

ज. ताइवान उत्पादक के आंकड़ों के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य के संबंध में, ताइवान का उत्पाद प्रोफ़ाइल चीन की तुलना में बहुत सीमित है। यहां तक कि जहां ताइवान से कुछ उत्पाद आयात होते हैं, वहाँ इन पीसीएन में आयात की मात्रा चीन से आयात की तुलना में अत्यधिक कम है।

झ. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए कि ताइवान चीन के लिए एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है,पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं की है । जांच में चीन के उत्पादकों के भाग

लेने के बावजूद, क्षमता, मांग, विकास के स्तर के संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच।

68. निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया गया है:

i. चेन हसोंग मशीनरी (निंगबो) कंपनी लिमिटेड, चीन
ii. चेन हसोंग मशीनरी (शेन्ज़ेन) कंपनी लिमिटेड, चीन
iii. चेन हसोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड, चीन
iv. चेन हसोंग सेल्स एंड मार्केटिंग (शेन्ज़ेन) कंपनी लिमिटेड, चीन
v. डोंगगुआन फू चुन शिन प्लास्टिक मशीनरी विनिर्माण कंपनी लिमिटेड, चीन।
vi. एंगेल मशीनरी (चांगझोउ) कंपनी लिमिटेड, चीन।
vii. एंगेल मशीनरी (शंघाई) कंपनी लिमिटेड, चीन
viii. फ़ोशान शुंडे चेन डे प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड, चीन
ix. फ़ोशान शुंडे चेन डे प्रेसिजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड, चीन
x. फू चुन शिन (निंगबो) मशीनरी निर्माण कंपनी लिमिटेड, चीन
xi. यिज़ुमी हाई स्पीड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन
xii. यिज़ुमी प्रिसिज़न मशीनरी (एचके) कंपनी लिमिटेड, चीन
xiii. यिज़ुमी प्रिसिज़न मशीनरी (सूज़ौ) कंपनी लिमिटेड, चीन
xiv. यिज़ुमी प्रिसिज़न मोल्डिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन
xv. एशियन प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड, ताइवान
xvi. चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कंपनी लिमिटेड, ताइवान
xvii. हुआरोंग प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड, ताइवान

च.3.1 <u>सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य का निर्धारण</u>

क. <u>चीन जन.गण के लिए सामान्य मूल्य</u>

69. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था हैः

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी

ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज सहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे । इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

70. आवेदकों ने चीन के एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के साथ-साथ अनुबंध I के पैरा 7 पर विश्वास किया है। आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन.गण में उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। आवेदकों द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि यदि उत्तर देने वाले चीन के उत्पादक यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और मूल्य जानकारी बाजार द्वारा संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमों के अनुलग्नक-I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

71. यह नोट किया गया है कि अनुच्छेद 15 (क) (ii) में निहित प्रावधान दिनांक 11.12.2016 को समाप्त हो गया है, एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) (i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटन-रोधी समझौते के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान को, नियम के अनुबंध I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को बाजार अर्थव्यवस्था निरुपण का दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली जानकारी/डेटा के माध्यम से पूरा

किया जाना चाहिए। यह नोट किया गया है कि चूंकि चीन जन.गण के उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है, इसलिए सामान्य मूल्य गणना नियमों के अनुलग्नक I के पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

72. चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक ने अपने स्वयं के आंकड़ों/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमों के अनुलग्नक-I के पैराग्राफ 7 के अनुसार किया गया है, जो निम्नानुसार है:

''7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्वित रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी । ''

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि हितबद्ध पक्षकारों ने ताइवान को सरोगेट बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में विचार करने का सुझाव दिया है, इसने इस संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की है कि ताइवान किस तरह से एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है, विशेषकर जब ताइवान भी जांच के अधीन है। किसी तीसरे देश में उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का चयन केवल उस देश और संबंधित उत्पाद के विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। चूंकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में

जानकारी प्रदान नहीं की है, और इसके अलावा चूंकि ताइवान जांच के अधीन है, इसलिए इस आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

74. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पाद के घरेलू मूल्य, निर्मित मूल्य अथवा निर्यात मूल्य के संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सूचना और साक्ष्य के आधार पर उपयुक्त देश का चयन करना आवश्यक है। चूंकि न तो घरेलू उद्योग और न ही हितबद्ध पक्षकारों ने कोई सत्यापन योग्य सूचना प्रदान की है, इसलिए इस आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका। अत:, चीन जन.गण के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण समान वस्तु के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर किया गया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन की लागत, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ को जोड़ने के बाद किया गया है। इसके अलावा, विचार किए गए पीसीएन को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

<u>चीन जन.गण के लिए निर्यात मूल्य</u>

क. <u>चीन से चेन हसोंग ग्रुप</u>

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि समूह की सात कंपनियों ने प्रतिक्रिया दायर कर दिया है।

क. फ़ोशान शुंडे चेन डे प्लास्टिक मशीनरी कं, लिमिटेड, फ़ोशान शुंडे चेन डे प्रिसिज़न मशीनरी कं, लिमिटेड, चेन हसोंग मशीनरी (शेन्ज़ेन) कं, लिमिटेड और चेन हसोंग मशीनरी (निंगबो) कं, लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद के चार उत्पादक हैं।

ख. चेन हसोंग सेल्स एंड मार्केटिंग (शेन्ज़ेन) कंपनी लिमिटेड और चेन हसोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड उत्पाद समूह के दो निर्यातक हैं।

ग. चेन हसोंग मशीनरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड भारत में संबंधित इकाई है जिसने भी प्रतिक्रिया दायर की है।

76. प्रश्नावली के प्रतिक्रिया से यह पाया गया है कि केवल चेन हसोंग मशीनरी (शेन्ज़ेन) कं., लिमिटेड, फोशान शुंडे चेन डे प्लास्टिक्स मशीनरी कं., लिमिटेड और फोशान शुंडे चेन डे प्रिसिजन मशीनरी कं., लिमिटेड ने ही भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है।

77. यह पाया गया है कि निर्माता ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** मशीनें रिपोर्ट की हैं।

78. उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री माल भाडा, बीमा, ऋण लागत और अन्य कटौतियों के खातों में समायोजन का दावा किया है, ताकि कारखाना स्तर पर निर्यात मूल्य का पीसीएन-वार भार औसत निकाला जा सके। दावा किए गए समायोजन को स्वीकृत कर दिया गया है। निर्यात मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में नीचे किया गया है।

ख. <u>यिज़ुमी ग्रुप</u>

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि समूह की छह कंपनियों ने प्रतियुत्तर दायर कर दिया है।
   क. यिज़ुमी प्रेसिजन मशीनरी (सूज़ौ) कं, लिमिटेड,
   ख. यिज़ुमी हाई स्पीड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
   ग. यिज़ुमी प्रेसिजन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड,
   घ. यिज़ुमी प्रेसिजन मशीनरी (एचके) कंपनी, लिमिटेड
   ड. यिजुमी प्रिसिजन मशीनरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड,

80. यह पाया गया है कि निर्माता ने जांच अवधि के दौरान भारत को *** मशीनें रिपोर्ट की हैं। विनिर्माता ने सीधे भारतीय ग्राहकों को बेचा है और साथ ही अन्य देशों में अपने संबंधित निर्यातकों और भारत में संबंधित आयातकों के माध्यम से निर्यात किया है।

81. उत्पादक/निर्यातक ने निर्यात-कारखाना स्तर पर निर्यात मूल्य के पीसीएन-वार भार औसत पर पहुंचने के लिए समुद्री माल ढुलाई, बीमा, ऋण लागत और अन्य कटौतियों के खातों पर समायोजन का दावा किया है। दावा किए गए समायोजन को स्वीकृत कर दिया गया है। यह पाया गया है कि भारत में संबंधित आयातक ने हानि में बिक्री की है। प्राधिकारी की निरंतर परिपाटियों को ध्यान में रखते हुए, हानि और बिक्री, प्रशासनिक और सामान्य

व्यय को शुद्ध निर्यात मूल्य में समायोजित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य को नीचे दिया गया है।

ग. <u>फू चुन ग्रुप</u>

82. प्राधिकारी ने नोट किया कि समूह की छह कंपनियों ने प्रतियुत्तर दायर कर दिया है।
   क. फू चुन शिन (निंगबो) मशीनरी निर्माण कं, लिमिटेड
   ख. डोंगुआन फू चुन शिन प्लास्टिक मशीनरी विनिर्माण कं, लिमिटेड,
   ग. एफसीएस मैन्युफैक्चरिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, भारत।

83. यह पाया गया है कि विनिर्माता ने जांच अवधि के दौरान भारत को *** मशीनें रिपोर्ट की हैं। निर्माता ने प्रत्यक्ष रूप से भारतीय उपभोकताओं के साथ-साथ भारत में संबंधित आयातकों के माध्यम से भी मशीनें की बिक्री की हैं।

84. उत्पादक/निर्यातक ने निर्यात-कारखाना स्तर पर निर्यात मूल्य के पीसीएन-वार भार औसत पर पहुंचने के लिए समुद्री माल भाडा, बीमा, ऋण लागत और अन्य कटौतियों के खातों पर समायोजन का दावा किया है। दावा किए गया समायोजन स्वीकृत कर दिया गया है। यह देखा गया है कि भारत में संबंधित आयातक ने हानि में बिक्री की है। प्राधिकारी की निरंतर परिपाटियों को देखते हुए, हानि और बिक्री, प्रशासनिक और सामान्य व्यय को शुद्ध निर्यात मूल्य में समायोजित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य नीचे दिया गया है।

घ. <u>हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम्स शंघाई लिमिटेड</u>

85. प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम्स शंघाई लिमिटेड ने संबंधित उत्पादकों, हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम्स एसए और हस्की कनाडा के साथ वर्तमान जांच में भाग लिया है।

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली का प्रतियुत्तर देने में विलंब हुई। उत्पादक को निम्नलिखित जानकारी देते हुए एक संदेश भेजा गया:

यह सूचित किया जाता है कि प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपरोक्त संबंद्ध पर दिनांक 17.08.2024 तक संबंधित ईक्यूआर/आईक्यूआर/यूक्यूआर/ईआईक्यू दायर करने का समय दिया था। आपका प्रतियुत्तर दिनांक 18.08.2024 को प्राप्त हुआ; तदनुसार, प्राधिकारी ने आपके प्रतियुत्तरों को समय सीमा समाप्त होने के बाद प्राप्त हुआ मान लिया है और आपके प्रतियुत्तरों को स्वीकार नहीं किया है।

87. विनिर्माता ने उपरोक्त नोटिस प्राप्त करने के बाद प्राधिकारी से संपर्क नहीं किया। विलंब से प्रस्तुति को से अनुरोध करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसके बाद, निर्माता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। डब्ल्यू.पी(सी) 1378/2025 और सीएमएपीपीए.6731-33/2025 के निर्णय में, माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिए:

9. तदनुसार, वर्तमान मामले के तथ्यों के संदर्भ में, प्रश्नावली के प्रतियुत्तर को रिकॉर्ड पर लेने का निर्देश दिया जाता है। यदि इसे दायर करने में कोई विलंब हुई है, तो उसे माफ किया जाता है। जांच अब विधि के अनुसार होगी।

88. प्रारंभिक अधिसूचना में, भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे:

सभी संचार ईमेल पते jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए, साथ ही एक प्रति adv11-dgtr@gov.in पर भी भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

89. हस्की ग्रुप ने केवल पीडीएफ प्रारूप में अपना जवाब प्रस्तुत किया है। परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 10 के लिए कोई एक्सेल फाइल उपलब्ध नहीं कराई गई है।

90. प्रकटीकरण विवरण जारी होने के बाद, चीन की हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम शंघाई लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी। निर्माता ने इस आधार पर प्रकटीकरण विवरण को चुनौती दी कि दायर सामग्री का सत्यापन कानून के अनुसार नहीं किया गया है।

91. हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम शंघाई लिमिटेड को 21 मार्च 2025 तक का समय दिया गया था। निर्माता ने तब से निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। इसलिए, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के मद्देनजर, निर्माता द्वारा प्रदान की गई जानकारी की जांच की गई है।

92. हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम शंघाई लिमिटेड ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा किया है, लेकिन यह स्थापित नहीं किया है कि यह चीन में स्थित होने के कारण किसी भी सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त है। यह ध्यान दिया जाता है कि निर्यातक द्वारा प्रदान की गई जानकारी निर्णायक रूप से यह स्थापित नहीं करती है कि कीमतों, लागतों और इनपुट के बारे में कंपनी के निर्णय, जिसमें आउटपुट, बिक्री और निवेश की लागत शामिल है, आपूर्ति और मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों के जवाब में और इस संबंध में महत्वपूर्ण राज्य हस्तक्षेप के बिना किए जाते हैं। इसलिए, प्राधिकरण निर्माता को बाजार अर्थव्यवस्था उपचार प्रदान करना उचित नहीं पाता है।

93. यह देखा गया है कि उत्पादक ने चीन से भारत को *** मशीनों के निर्यात की सूचना दी है। उत्पादक ने निर्यात मूल्य के पीसीएन-वार भार औसत पर पहुंचने के लिए समुद्री माल, अंतर्देशीय परिवहन, बीमा और ऋण लागत को समायोजन के रूप में दावा किया है। दावा किया गया समायोजन स्वीकृत किया गया है। निर्यात मूल्य का उल्लेख डंपिंग मार्जिन तालिका में नीचे किया गया है।

ड. <u>एंगेल मशीनरी (शंघाई) कं, लिमिटेड</u>

94. यह देखा गया कि परिशिष्ट 3 ए में बताए गए लेन-देन उत्पादक द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद की पहचान करने की अनुमति नहीं देते हैं। यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि निर्यात किया गया उत्पाद विचाराधीन उत्पाद था या विचाराधीन गैर-उत्पाद। इसके अतिरिक्त, उत्पादक इन लेन-देन को उचित पीसीएन निर्दिष्ट करने में विफल रहा। यह भी देखा गया कि लेन-देन या तो एफओबी या सीआईएफ स्तर पर थे, किंतु घरेलू बीमा, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों से संबंधित जानकारी प्रदान नहीं की गई थी। जबकि

उत्पादक ने डिलीवरी की शर्तें प्रदान की हैं, यह देखा गया है कि क्रेडिट लागत का कोई समायोजन प्रदान नहीं किया गया है। उत्पादक ने निर्यात मूल्य गणना में दावा किए गए समायोजन के लिए बैकअप दस्तावेज़ भी प्रदान नहीं किए हैं।

95. प्रारंभिक अधिसूचना में, भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे:

सभी पत्राचार ईमेल पते jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए, साथ ही एक प्रति adv11-dgtr@gov.in पर भी भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

96. एंजेल मशीनरी (शंघाई) कंपनी लिमिटेड ने केवल पीडीएफ प्रारूप में अपना प्रतियुत्तर प्रस्तुत किया है। परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 10 के लिए कोई एक्सेल फाइल उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्राधिकारी का मानना है कि उत्पादक द्वारा प्रस्तुत प्रतियुत्तर में अलग-अलग पाटन मार्जिन के उचित आकलन के लिए पर्याप्त स्पष्टता नहीं दी गई है। तदनुसार, प्राधिकारी अलग-अलग पाटन मार्जिन प्रदान न करने का प्रस्ताव करतें है।

ii. <u>सामान्य मूल्य और ताइवान से निर्यात मूल्य</u>

i. <u>चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कं, लिमिटेड</u>

97. प्राधिकारी ने नोट किया कि समूह की तीन कंपनियों ने प्रतियुत्तर दायर कर दिया है।

क. चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कं, लिमिटेड

ख. एशियाई प्लास्टिक मशीनरी कं, लिमिटेड

ग. चेन हसोंग मशीनरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

98. यह पाया गया है कि विनिर्माता ने जांच अवधि के दौरान भारत को *** मशीनें बेची हैं। विनिर्माता ने सीधे भारतीय ग्राहकों के साथ-साथ भारत में संबंधित आयातकों के माध्यम से भी मशीनें बेची हैं।

99. यह नोट किया गया है कि घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबंद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जित करने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण का सामान्य कार्य आयोजित किया। यदि लाभ अर्जित करने वाले लेनदेन 80% से अधिक हैं, तो प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेनदेन पर विचार किया है। जहां लाभदायक लेनदेन 80% से कम हैं, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ही ध्यान में रखा गया है। व्यापार परीक्षण के सामान्य क्रम के आधार पर, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ही लिया गया है, क्योंकि लाभदायक बिक्री 80% से कम थी।

100. उत्पादक ने अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत और कमीशन के समायोजन का दावा किया है। तदनुसार, चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कंपनी लिमिटेड, ताइवान के लिए सामान्य मूल्य का पीसीएन-वार भार औसत निर्धारित किया गया है, और इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

101. प्रतिक्रिया से नोट किया गया है कि चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कंपनी लिमिटेड, ताइवान ने घरेलू बाजार में असंबंद्ध ग्राहकों को ***मशीनें बेची हैं। निर्माता/निर्यातक ने निर्यात मूल्य के पीसीएन-वार भार औसत पर पहुंचने के लिए अंतर्देशीय परिवहन और एफसीएल शुल्क के खातों पर समायोजन का दावा किया है, जो कि एक्स-फैक्ट्री स्तर पर निर्धारित किया गया है, जैसा कि नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है:

ii. <u>हुआरोंग प्लास्टिक मशीनरी कं, लिमिटेड</u>

102. प्रारंभिक अधिसूचना में, भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे:

> *सभी पत्राचार ईमेल पते jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए, साथ ही एक प्रति adv11-dgtr@gov.in पर भी भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि*

अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजे जाने योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

103. हुआरोंग प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड ने केवल पीडीएफ प्रारूप में अपना प्रतियुत्तर प्रस्तुत किया है। परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 10 के लिए कोई एक्सेल फाइल उपलब्ध नहीं कराई गई है।

104. यह पाया गया कि उत्पादक परिशिष्ट 3ए और परिशिष्ट 4ए में बताए गए इन लेन-देन को उचित पीसीएन विनिर्दिष्ट करने में विफल रहा। जबकि भुगतान शर्तों में क्रेडिट अवधि दिखाई गई है, फिर भी कोई क्रेडिट लागत रिपोर्ट नहीं की गई है। उत्पादक ने दावा किए गए समायोजन के लिए कोई बैकअप दस्तावेज़ प्रदान नहीं किया है। प्राधिकारी ने पाया कि उत्पादक द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया में अलग-अलग पाटन मार्जिन के उचित मूल्यांकन के लिए पर्याप्त स्पष्टता नहीं दी गई है। तदनुसार, प्राधिकारी अलग-अलग पाटन मार्जिन प्रदान न करने का प्रस्ताव करता है।

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	**निर्माता**	**सामान्य मूल्य**	**निर्यात मूल्य**	**पाटन मार्जिन**		
		प्रति मशीन अमरीकी डालर			**%**	**(श्रेणी)**
क	**चीन**					
1	डोंगगुआन फू चुन शिन प्लास्टिक मशीनरी निर्माण कं, लिमिटेड और फू चुन शिन (निंगबो) मशीनरी निर्माण कं, लिमिटेड	***	***	***	***	40-50%
2	चेन हसोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड, चेन हसोंग सेल्स एंड मार्केटिंग (शेन्ज़ेन) कंपनी लिमिटेड, चेन हसोंग मशीनरी (निंगबो) कंपनी लिमिटेड, चेन हसोंग मशीनरी (शेन्ज़ेन) कंपनी लिमिटेड, फ़ोशान शुंडे चेन डे प्रेसिजन	***	***	***	***	40-50%

	मशीनरी कंपनी लिमिटेड, फ़ोशान शुंडे चेन डे प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड					
3	यिज़ुमी प्रेसिजन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड, यिज़ुमी हाई स्पीड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड, यिज़ुमी प्रेसिजन मशीनरी (एचके) कं, लिमिटेड, यिज़ुमी प्रेसिजन मशीनरी (सूज़ौ) कं, लिमिटेड	***	***	***	***	55-65%
4	हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम शंघाई लिमिटेड, चीन	***	***	(***)	(***)	नकारात्मक
5	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	60-70%
ख.	**ताइवान**					
1	चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कं, लिमिटेड	***	***	***	***	40-50%
2	हुओरवंग मशीनरी लिमिटेड	***	***	(***)	(***)	नकारात्मक
3	कोई और	***	***	***	***	50-60%

छ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच</u>

छ. 1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

105. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

क. भारत में मांग-आपूर्ति में बहुत बड़ा अंतर है। घरेलू उद्योग केवल 5,100 इकाइयों का उत्पादन कर सकता है, जबकि मांग 7,956 इकाइयों की है, वास्तविक उत्पादन केवल 3,896 इकाइयों का है।

ख. क्षमता अथवा उत्पादन स्तर में किसी भी प्रकार की वृद्धि के बिना ब्याज लागत और मूल्यह्रास व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ग. इसका कोई मात्रा प्रभाव नहीं है, क्योंकि संबद्ध देशों से आयात में न्यूनतम वृद्धि है तथा यह भारत में समग्र मांग वृद्धि से संचालित है।

घ. कीमतों में कमी, कटौती या कम कीमत पर बिक्री का कोई दावा नहीं है। लाभ में मामूली गिरावट के साथ आयात कीमतों में वृद्धि हुई है।

ड. मांग में 38% की वृद्धि हुई है, तथा घरेलू उद्योग की बिक्री में 21% वृद्धि हुई है।

च. घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि आधार वर्ष से भी अधिक है।

छ. आवेदकों के विक्रय मूल्य में वृद्धि, विक्रय लागत और आयात के विक्रय मूल्य में वृद्धि से अधिक है।

ज. नियोजित पूंजी में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके बावजूद, रिटर्न में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि आवेदकों को बहुत उच्च दर का रिटर्न मिला है।

झ. आवेदकों ने व्यापारिक बाजार में घटकों का उत्पादन और बिक्री करने वाली कंपनियों की जानकारी दिए बिना अपने दावे में घटकों को शामिल किया है। चूंकि इन कंपनियों ने आंकडें प्रस्तुत नहीं किए, इसलिए आवेदक ने घटकों पर क्षति का दावा कैसे किया, यह स्पष्ट नहीं है ।

ञ. पाइपलाइन में कोविड के बाद के ऑर्डर के कारण संबंद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई।

ट. आवेदक का यह दावा कि वर्ष 2020-21 के साथ आयात और घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की तुलना उचित नहीं होगी, को अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि यह बिना किसी औचित्य और साक्ष्य के किया गया है।

ठ. घरेलू उद्योग ऑर्डर पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, कुछ आपूर्तिकर्ता लगभग एक वर्ष तक डिलीवरी करने में असमर्थ हैं। यह विलंब आयात जैसे विकल्पों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है।

ड. संरक्षण के बावजूद, घरेलू उद्योग बाजार में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपने परिचालन को पर्याप्त रूप से बढ़ाने में सक्षम नहीं है। इससे दर्शाता है कि आयात घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन को प्रभावित नहीं कर रहे हैं।

ढ. घरेलू उद्योग को आयातों से पर्याप्त संरक्षण मिला है। घरेलू उद्योग को आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण क्षति हुई है।

ण. ताइवान से आयात को संचयित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि चीन और ताइवान से आयात के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ भिन्न हैं। ताइवान से आयातित मशीनों में केवल 19 प्रकार के क्लैम्पिंग बल हैं। जबकि चीन जन.गण के लिए आयातित मशीनों के क्लैम्पिंग बल के 95 प्रकार हैं।

त. क्षति अवधि के विगत दो वर्षों में ताइवान से आयात की मात्रा में अत्यधिक कमी आई है। सापेक्षिक आधार पर, उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध आयात की मात्रा बहुत सीमित है।

थ. घरेलू उद्योग ने कीमत कटौती के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग बिक्री लागत के अनुरूप अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में सक्षम था।

द. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग 80% से अधिक रहा है।

ध. क्षति अवधि में घरेलू बिक्री में निरंतर वृद्धि हुई तथा जांच अवधि में गिरावट आई।

न. क्षति अवधि में घरेलू विक्रय मूल्य में निरंतर और अत्यधिक वृद्धि हुई है।

प. घरेलू उद्योग के वित्तीय मापदण्ड किसी हानि के बजाय उल्लेखनीय लाभ दर्शाते हैं।

फ. छोटी क्लैम्पिंग फोर्स वाली मशीनें बड़ी मशीनों की तुलना में कम लाभ कमाती हैं। छोटी मशीनों की बढ़ती मांग के कारण आवेदकों के लाभ में गिरावट आई, हालांकि वे महत्वपूर्ण लाभ अर्जित करते रहते हैं।

ब. विंडसर मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट में कई अन्य कारकों, जैसे कि परिचालन जोखिम जिसमें आपूर्ति और मांग में संतुलन, आवश्यक प्रतिभा को सुरक्षित रखना और बनाए रखना, आईटी और मशीन प्रौद्योगिकी में प्रगति और विदेशी मुद्रा जोखिम आदि शामिल हैं, जो क्षति के कारण हैं की पहचान की गई है ।

भ. आवेदन जानबूझकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहा है, जिनका संबंधित देश में होने वाले आयातों से स्वतंत्र रूप से घरेलू उद्योग पर प्रभाव पड़ा है। ऐसे कारणों में आंतरिक समस्याएं, वैश्विक स्तर पर बाजार की निराशाजनक स्थिति, कच्चे माल की कीमत में उतार-चढ़ाव, महामारी कोविड-19 का प्रभाव, रूस यूक्रेन युद्ध आदि शामिल हैं।

छ.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

106. आवेदकों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की तुलना वर्ष 2020-21 से करना उचित नहीं होगा क्योंकि उस वर्ष का कार्य निष्पादन कुछ महीनों में लगाए गए कोविड लॉकडाउन से प्रभावित हुआ था। बाजार में अनिश्चितताओं और व्यवधानों के कारण उत्पाद की मांग प्रभावित हुई।

ख. अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 को चीन से आयात के संबंध में पाटन रोधी जांच की अवधि में शामिल किया गया था, जहां प्राधिकारी ने पाया कि पाटित किए गए आयात के कारण उद्योग को हानिहो रही है।

ग. कोविड-19 के कारण आधार वर्ष में मांग कम थी, तथा क्षति अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई ।

घ. जांच अवधि के दौरान उत्पाद की मांग में मामूली गिरावट आई, किंतु कम कीमत वाले आयातों में इतनी महत्वपूर्ण वृद्धि जारी रही कि अब वे मांग में वृद्धि की दर से अधिक हो गए हैं।

ड. संपूर्ण क्षति अवधि तथा जांच अवधि में आयात की मात्रा में वृद्धि हुई। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में आयात की मात्रा में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई।

च. आधार वर्ष के आंकड़े प्राधिकारी द्वारा एडीडी की सिफारिश का आधार थे, जिसमें 250 मशीनों के आयात में वृद्धि हुई। मशीनों की संख्या में और वृद्धि हुई है।

छ. मूल्य के संदर्भ में, आयात आधार वर्ष में 91 करोड़ रुपये से बढ़कर जांच अवधि में लगभग 500 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2022-23 तक, आयात मात्रा और मूल्य में वृद्धि की दर आनुपातिक थी। किंतु जांच अवधि में, आयात मूल्य की तुलना में आयात मात्रा में असंगत रूप से वृद्धि हुई और आयात मूल्य में गिरावट आई।

ज. संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा संपूर्ण क्षति अवधि और जांच अवधि में निरंतर वृद्धि हुई है। जबकि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जांच अवधि के दौरान मामूली वृद्धि के साथ क्षति अवधि में निरंतर घटा है।

झ. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में गिरावट आई है।

ञ. घरेलू उद्योग के मालसूची में विगत वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान तेजी से वृद्धि हुई है। पूंजीगत वस्तुओं के रूप में उत्पाद होने के बावजूद, घरेलू उद्योग को संचित माल से हानि उठानी पडी।

ट. आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से अत्यधिक कम है।

ठ. आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही हैं। आयातित वस्तुओं की पहुंच कीमत भी घरेलू उद्योग की लागत से कम है।

ड. जबकि जांच अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है, उस अनुपात में बिक्री मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है। इसी अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत में तेजी से गिरावट आई है। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहें हैं।

ढ. वर्ष 2020-21 में लाभ कोविड-19 और पाटन से प्रभावित हुआ। हालांकि 2021-22 में स्थिति में सुधार हुआ, किंतु घरेलू उद्योग की लाभप्रदता विगत वर्ष की तुलना में जांच

अवधि में लगभग 50% कम हो गई। इसी तरह, नकद लाभ, पीबीडीआईटी और आरओसीई में भी गिरावट आई है।

ण. यह उद्योग श्रम-प्रधान है। भाग लेने वाले उत्पादक 200 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और इन कर्मचारियों को लगभग 132 करोड़ रुपये का वेतन देते हैं। क्षति अवधि में रोजगार स्तर और वेतन में वृद्धि हुई है। उत्पादकता स्थिर बनी हुई है।

त. भाग लेने वाले उत्पादक एमएसएमई खंड के नहीं हैं, किंतु अन्य एमएसएमई उत्पादक भी हैं जो कम कीमत वाले आयातों का सामना करने के कारण कर्मचारियों को वेतन देना जारी नहीं रख सकते हैं।

थ. घरेलू उद्योग की वृद्धि स्थिर रही है और यह अपेक्षित स्तर के लगभग भी नहीं है, क्योंकि मांग में हुई पूरी वृद्धि आयातों द्वारा समाप्त कर दी गई है।

द. मूल्य मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, तथा जांच अवधि में उद्योग को लगभग 900 करोड़ रुपए का बाजार हानि हुई है।

ध. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट के कारण पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर अत्यधिक प्रभाव हुआ है। भारतीय उद्योग मुख्य रूप से एमएसएमई क्षेत्र से है जो उचित लाभ न होने पर व्यवसाय में लगातार पूंजी नहीं लगा सकता है।

न. संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा आधार वर्ष में 4% से भी कम से बढ़कर जांच अवधि में 19% हो गया। संबद्ध आयातों ने भारतीय उत्पादकों के हिस्से को हडपकर अपना बाजार हिस्सा बढ़ाया।

प. नियोजित पूंजी में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव संबंधी अनुरोध के संबंध में, प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों का उत्पादन करने वाले संयंत्र पूंजी-गहन नहीं हैं। प्रति मशीन नियोजित औसत पूंजी [***] रुपये से कम है, जबकि प्रति मशीन लागत लगभग [***] रुपये है। परिणाम्स्वरुप, लाभप्रदता में लघु परिवर्तन भी नियोजित पूंजी पर रिटर्न को अत्यधिक प्रभावित करते हैं।

फ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस प्रस्तुति के विपरीत कि उद्योग की क्षमता 5,100 इकाईयों की है, भारतीय उद्योग की कुल क्षमता 12,000 इकाईयों की है, जबकि घरेलू मांग 8,000 इकाईयों की है।

ब. इस अनुरोध के विपरीत कि मूल्यह्रास में वृद्धि हुई है, क्षति अवधि में मूल्यह्रास में कमी आई है। जबकि जांच अवधि में मूल्यह्रास लागत में वृद्धि हुई है, नकद लाभ में बहुत अधिक दर से गिरावट आई है।

भ. जहां तक यह अनुरोध कि ब्याज लागत में वृद्धि हुई है का संबंध है, ब्याज लागत में केवल [***] रुपए की वृद्धि हुई है, जबकि ब्याज पूर्व लाभ में [***] रुपए की गिरावट आई है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

107. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलबध तथ्यों और प्रयोज्य कानूनों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है।

108. क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए 22% की आय पर विचार करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध सही नहीं हैं, इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के तहत इस संबंध में प्रासंगिक दिशा- निर्देश निर्धारित किए गए हैं। प्राधिकारी ने नियोजित पूंजी पर लगातार 22% की आय को अनुमति प्रदान की है और इसे वर्तमान जांच में भी अपनाया गया है।

109. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विवाद के संबंध में कि लाभप्रदता में गिरावट ब्याज लागतों में उल्लेखनीय वृद्धि और मूल्य ह्रासात्मक व्ययों के कारण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की मूल्यह्रास लागतों में गिरावट आई है। जहां, जांच की अवधि में ब्याज लागत में वृद्धि हुई है, वहीं समान अवधि के दौरान ब्याज पूर्व लाभ में गिरावट आई है जो लाभप्रदता में गिरावट को स्थापित करता है चाहे ब्याज लागतों के पिछले स्तरों के संबंध में विचार किया गया हो। इसलिए, अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दावा कि लाभप्रदता में गिरावट ब्याज लागत में वृद्धि और मूल्य ह्रास के कारण है, सही नहीं है। यह भी नोट किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में ब्याज और मूल्य ह्रास लागत कंपनी के परिचालनों के अभिन्न भाग हैं और इसलिए इन लागतों में वृद्धि अन्य कारकों की श्रेणी में नहीं आती हैं।

110. आवेदकों का कहना है कि जांच की अवधि में निष्पादन की तुलना वर्ष 2021-22 और 2022-23 से की जानी चाहिए न कि आधार वर्ष 2020-21 से। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का लाभ 2020-21 में उल्लेखनीय रूप से कम था। वर्ष 2020-21 पिछली जांच की अवधि थी जिसमें प्राधिकारी ने उपायों को लागू किए जाने की सिफारिश की थी। इसके अलावा, यह अवधि पाटन द्वारा प्रभावित भी थी और किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आवेदक के तर्क पर विवाद नहीं किया है।

111. जहां तक प्रतिभागी उत्पादित ओर बेचे गए उप-संयोजनों के डेटा पर अनुरोधों का प्रश्न है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा बेची गई संपूर्ण मशीनों के भाग हैं। इन उत्पादों का कोई अन्य स्वतंत्र प्रयोग नहीं है। क्षति-विश्लेषण में पृथक रूप से उत्पादित तथा बेचे गए उप-संयोजनों को सम्मिलित करने का परिणाम दोहरी गिनती में होगा। इसी प्रकार, इन उप-संयोजनों की लागत भी प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा बेची गई संपूर्ण प्रसंस्करण मशीनों की लागत का भी हिस्सा बनती हैं। इसलिए उप-संयोजनों के डेटा को प्रभागी उत्पादकों के क्षति-डेटा में शामिल किए जाने की कोई आवश्यतया नहीं है।

112. विंडसर मशीन्स लिमिटेड द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में चिन्हित किए गए क्षति के कारकों का जहां तक संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पूरी तरह से कंपनी से संबंधित हैं ओर केवल विचाराधीन उत्पाद से नहीं। इसलिए, वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए विवरणों पर वर्तमान जाच के प्रयोजनार्थ विश्वास नहीं किया जा सकता।

113. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विवादों के संबंध में कि उक्त क्षति आंतरिक समस्याओं, वैश्विक रूप से ह्रासित बाजार स्थितियों, कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, कोविड-19 के प्रभाव, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने जेनेरिक विवरण दिए हैं और अपने दावों को स्थापित करने के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है न ही घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित करने वाले इन कारकों की विद्यमानता को प्रभावित स्थापित किया है न ही इसका कोई परिणात्मक प्रभाव बताया गया। प्राधिकारी ने केवल घरेलू परिचालनों के लिए घरेलू उद्योग के डेटा पर विचार किया है और घरेलू बाजार में मांग ने जांच की अवधि में वृद्धि दर्शायी है। इसलिए, प्राधिकारी इस दावे को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

क. संचयी आकलन

114. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे मामले में जहां किसी उत्पाद के आयात एक से अधिक देश से एक साथ पाटनरोधी जांच के अधीन हैं, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचित रूप से आकलन करेंगे, यदि ये निर्धारित करते हैं कि:

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशतांक के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से ज्यादा है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों के तीन प्रतिशत (या अधिक) है अथवा जहां

पृथक देशों के निर्यात तीन प्रतिशत से कम हैं, आयात समग्र रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक हैं; और

ख. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित है।

115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. संबद्ध वस्तुए संबद्ध देशों से भारत में पाटित की जा रही हैं। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा पृथक-पृथक रूप से आयातों की कुल मात्रा के 3% से अधिक है।

ग. आयातों के प्रभाव के संचयी आकलन उचित हैं क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल उनमें से प्रत्येक के द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु से भी प्रतिस्पर्धा करती हैं।

116. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी विचार करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से संचित रूप से घरेलू उद्योग को क्षति का आकलन करना उचित है।

117. इसके अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह व्यवस्था की गई है कि क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति की ओर संकेत करते हैं *"....पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसे वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे परिणामी प्रभाव सहित सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए"।* कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह जांच करना अनिवार्य समझा गया कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा एक उल्लेखनीय कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने उल्लेखनीय स्तर तक कीमतों में अन्यथा रूप से ह्रास किया है अथवा कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किया है जो अन्यथा महत्वपूर्ण स्तर तक घटित हुआ होता। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले आंकड़ों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री

मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री आय, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमों के अनुबंध-II के अनुसरण में विचार किया गया है।

118. क्षति और कारणात्मक संबंध तथा प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक समझे गए अनुरोधों के संबंध में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है और निम्नानुसार उनका उल्लेख किया गया है।

ख. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

119. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग/स्पष्ट खपत को प्रतिभागी उत्पादकों, अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के रूप में निर्धारित किया है।

क्र.स.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	22 अक्तूबर से 23 सितंबर
1	घरेलू उद्योग	संख्या	2,973	3,764	3,768	3,607
2	अन्य उत्पादक	संख्या	2,160	2,740	2,715	2,635
3	संबद्ध देशों से आयात	संख्या	177	499	748	1221
4	अन्य देशों से आयात	संख्या	273	615	890	1367
5	**कुल मांग**	**संख्या**	**5,583**	**7,618**	**8,121**	**8,830**

120. यह देखा गया है कि क्षति अवधि में विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है।

छ.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा और कीमत प्रभाव

क. संबद्ध देशों से आयात मात्रा

121. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किए जाने की जरूरत है कि क्या पाटित आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है चाहे वह कुल रूप में हो अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष में। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनाथ, प्राधिकारी ने सौदा-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.स.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	22 अक्तूबर से 23 सितंबर
1	संबद्ध देशों से आयात	संख्या	177	499	748	1221
2	संबद्ध देशो से आयात	लाख रुपए	6,939	20,343	27,996	37,149
3	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देशों से आयात:					
4	भारतीय उत्पादन	%	3.09%	6.77%	10.45%	17.90%
5	खपत	%	3.17%	6.55%	9.21%	13.83%
6	कुल आयात	%	39.33%	44.79%	45.67%	47.18%

122. यह देखा गया है कि:

क. क्षति अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा में लगातार और उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। क्षति अवधि में आयातों की मात्रा में क्षति अवधि में 5 गुणा से अधिक वृद्धि हुई है।

ख. आयातों के मूल्य में आधार वर्ष में 69 करोड़ रुपए से जांच की अवधि में 371 करोड़ रुपए तक की वृद्धि हुई है। आयातों के मूल्य में क्षति अवधि में 4 गुणा से अधिक वृद्धि हुई है।

ग. संबद्ध देशों से आयातों में कुल रूप में तथा भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में वृद्धि हुई है।

घ. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान भारत में कुल आयातों में संबद्ध देशों से आयातों का प्रमुख हिस्सा रहा है।

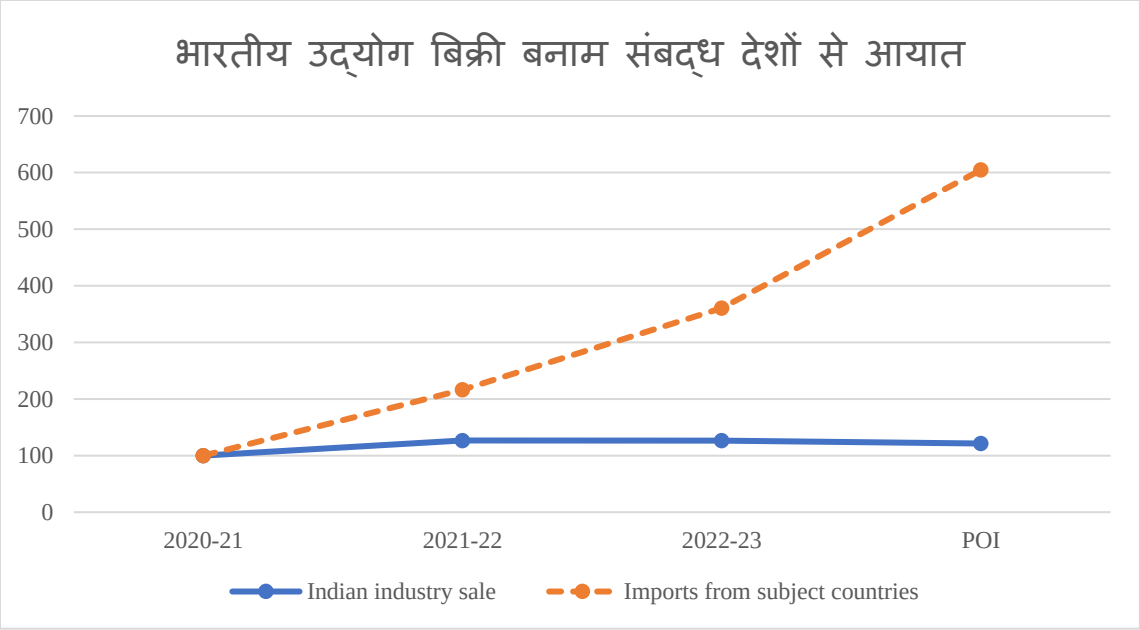

123. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किए जाने की जरूरत है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा कीमतों में ह्रास किया गया अथवा कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किया है, जो अन्यथा सामान्य अवधि में घटित किया गया है। कीमत कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत और बिक्री कीमत की संबद्ध देशों से संबद्ध देशों के आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना की गई है।

क. कीमत कटौती

124. कीमत कटौती को पीसीएन-वार और उसके पश्चात् संबद्ध आयात मात्राओं का प्रयोग करते हुए भारांशित औसत को अपनाते हुए समग्र रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित किया गया है।

125. इस प्रयोजन के लिए आयातों की पहुंच कीमत को क्लैपिंग बल के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की आयात कीमत और बिक्री कीमत के बीच उचित तुलना को सुनिश्चित करने के लिए, तुलनीय पीसीएन के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर विचार किया गया है। भारांशित औसत कीमत कटौती को क्लैपिग बलवार मशीनों और उनकी संबद्ध आयात मात्रा के लिए कीमत कटौती पर विचार करते हुए

निर्धारित किया गया है। जिन क्लैपिंग बल वाले सौदों की पहचान नहीं की गई थी, उन पर विचार नहीं किया गया है। यह देखा गया है कि चीन और ताईवान से निर्यातित उत्पाद के प्रोफाइल में अंतर है। जहां ताईवान से लोअर क्लैपिंग फोर्स मशीनों का मुख्य रूप से आयात किया गया है, वहीं चीन से क्लैपिंग फोर्स की विस्तृत श्रृंखला का आयात किया गया है।

126. नीचे दी गई तालिका चीन जन.गण., ताइवान तथा समग्र रूप से संबद्ध देशों के लिए मूल्य में कटौती दर्शाती है।

क्र.स.	**विवरण**	**यूओएम**	चीन	ताइवान	समग्र रूप से संबद्ध देश
1	पहुंच मूल्य	₹ लाख/संख्या	***	***	***
2	मूल्य में कटौती	₹ लाख/संख्या	***	***	***
3	मूल्य में कटौती	₹ लाख/संख्या	30-40%	10-20%	30-40%

127. यह देखा गया है कि जांच अवधि में संबद्ध आयातों का भारित औसत उतराई मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से काफी कम है, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक मूल्य में कटौती हुई है।

ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

128. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित कीमतें घरेलू कीमतों में ह्रास अथवा न्यूनीकरण कर रही हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव एक महत्वपूर्ण स्तर तक ऐसी कीमतों में ह्रास करता है अथवा कीमत में वृद्धि को नियंत्रित करते हैं जो अन्यथा सामान्य अवधि में घटित हुआ होता, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए विचाराधीन उत्पाद के सभी प्रकारों की लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की निम्नानुसार जांच की गई है:-

क्र.स.	**विवरण**	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**22 अक्तूबर से 23 सितंबर**
1	बिक्रियों की लागत	लाख रुपए/संख्या	***	***	***	***

2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	116	121
3	वर्ष दर वर्ष परिवर्तन	लाख रुपए/संख्या		***	***	***
4	बिक्री कीमत	लाख रुपए/संख्या	***	***	***	***
5	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	119	121
6	वर्ष दर वर्ष परिवर्तन	लाख रुपए/संख्या		***	***	***

129. यह देखा गया है कि:

क. बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमत में 2022-23 में और अधिक वृद्धि हुई थी। जहां बिक्री कीमत में समान दर से वृद्धि नहीं हुई थी, घरेलू उद्योग अभी तक लाभों को दर्ज करने में सक्षम था।

ख. जांच की अवधि में, जहां घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमत में वृद्धि हुई थी वहीं बिक्री कीमत में बिक्रियों की लागत में वृद्धि के अनुरूप बढ़ोतरी नहीं हुई।

ग. जहां क्षति अवधि में बिक्रियों की लागत में वृद्धि हुई, बिक्री कीमत मे समान दर पर वृद्धि नहीं हुई थी। इसलिए, जांच की अवधि में घरेलू कीमतों में ह्रास हुआ है।

छ.3.2 घरेलू उद्योग के आर्थिक पैरामीटर

130. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह व्यवस्था की गई है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और आंकड़ों का एक उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए जिसमें बिक्रियों, लाभों, आउट पुट, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेशों पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभाव, माल सूचियां, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पूंजी निवेशों को जुटाने की क्षमता शामिल है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी पैरामीटरों पर नीचे विचार-विमर्श किया गया है। प्राधिकारी ने उनके अनुरोधों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए

गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों पर उद्देश्यपूर्ण विचार करते हुए क्षति संबंधी पैरामीटरों की जांच की है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियां

131. प्राधिकारी ने क्षति अवधि में क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों पर विचार किया है।

क्र.स.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	22 अक्तूबर से 23 सितंबर
1	स्थापित क्षमता	संख्या	5,100	5,100	5,100	5,100
2	उत्पादन- कुल	संख्या	3,386	4,361	4,250	4,067
3	क्षमता उपयोग	%	66%	86%	83%	80%
4	उत्पादन-पीयूसी	संख्या	3,280	4,228	4,115	3,895
5	घरेलू बिक्रियां	संख्या	2,973	3,764	3,768	3,607
6	निर्यात बिक्रियां	संख्या	331	453	316	271

132. यह देखा गया है कि:

क. पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर बनी रही है।

ख. उत्पादन, बिक्रियों और क्षमता उपयेाग में गिरावट आई थी किंतु बिक्रियों में मामूली रूप से वृद्धि हुई है। जांच की अवधि में उत्पादन और घरेलू बिक्रियों में गिरावट आई है।

ग. जहां आधार वर्ष (2020-21) की तुलना में उत्पादन और घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हुई है, उस वर्ष में उद्योग के परिचालन कोविड और चीन जन.गण. से पाटन द्वारा प्रभावित हुए थे।

घ. मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में जांच की अवधि में गिरावट आई है।

ख. बाजार हिस्सा

133. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और संबद्ध देशों के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच निम्नानुसार की है:

क्र.सं.	का बाजार हिस्सा	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	22 अक्तूबर से 23 सितंबर
1	घरेलू उद्योग	%	53%	49%	46%	41%
2	अन्य उत्पादक	%	39%	36%	33%	30%
3	समग्र रूप में भारतीय उद्योग	%	92%	85%	80%	71%
4	संबद्ध देश	%	3%	7%	9%	14%
5	अन्य देश	%	5%	8%	11%	15%

134. यह देखा गया है कि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में पूरी क्षति अवधि के दौरान लगातार वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में लगातार गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में लगातार गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष साथ ही पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। समग्र रूप में भी भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से मे गिरावट आई है।

ग. मालसूचियां

135. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है:

क्र.स.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	22 अक्तूबर से 23 सितंबर
1	प्रारंभिक मालसूची	संख्या	***	***	***	***
2	समापन मालसूची	संख्या	***	***	***	***
3	**आसत मालसूची**	संख्या	**22**	**16**	**37**	**43**

136. यह देखा गया है कि उत्पाद के एक पूंजीगत माल के कारण, इसे पुष्टि किए गए क्रय आदेशों के आधार पर बेचा गया, घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में 2022-23 में

महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और बाद में जांच की अवधि में और अधिक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में मालसूची के उच्चतम औसत स्तर को दर्ज किया।

घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

137. लाभप्रदता, लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।

क्र.स.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	22 अक्तूबर से 23 सितंबर
1	लाभ/(हानि)	रुपए/संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*286*	*218*	*127*
2	लाभ/(हानि)	रुपए/संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*362*	*276*	*154*
3	पीबीआईटी	लाख रुपए	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*358*	*283*	*177*
4	नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*197*	*142*	*96*
5	आरओसीई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*368*	*259*	*175*

138. यह देखा गया है कि:

क. वर्ष 2020-21 पिछली जांच की अवधि का भाग था जिसमें प्राधिकारी ने उपायों को लागू करने की सिफारिश की थी। पाटन के प्रभाव के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता निम्न थी।

ख. 2021-22 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ।

ग. चूंकि 2022-23 में कम कीमत वाले आयातों में वृद्धि हुई थी, घरेलू उद्योग के लाभों, नकद लाभ और नियोजित पूंजी में गिरावट आई।

घ. जांच की अवधि में वित्तीय लाभों, नकद लाभों और ब्याज तथा कर पूर्व लाभ में लगभग 50% तक की गहन गिरावट आई।

ड. वर्ष 2021-22 में निवेश पर आय में सुधार हुआ और तत्पश्चात जांच की अवधि तक महत्वपूर्ण गिरावट आई।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

139. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे सारणी में दिए गए हैं:

क्र.स.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	22 अक्तूबर से 23 सितंबर
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	1,898	2,003	2,049	2,093
2	दैनिक उत्पादकता	संख्या	9	12	12	11
3	उत्पादकता प्रति कर्मचारी	संख्या	2	2	2	2
4	मजदूरी	लाख रुपए	***	***	***	***
5	मजदूरी	प्रवृत्ति	100	98	107	107

140. यह देखा गया है कि:

क. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तर और वेतन तथा मजदूरियों में सुधार हुआ।

ख. घरेलू उद्योग की दैनिक उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में जांच की अवधि में मामूली गिरावट आई है।

च. वृद्धि

141. क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्रियों की मात्रा, पीबीटी, पीबीआईटी, नकद लाभों और नियोजित पूंजी पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे सारणी में दिए गए अनुसार है:

क्र.स.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23
1	क्षमता	%	0%	0%	0%
2	उत्पादन	%	29%	-3%	-4%
3	घरेलू बिक्रियां	%	29%	-3%	-5%
4	पीबीटी लाख रुपए	%	27%	0%	-4%
5	पीबीआईटी लाख रुपए में	%	262%	-24%	-44%

6	नकद लाभ लाख रुपए में	%	258%	-21%	-38%
7	आरओआई	%	97%	-28%	-32%

142. जांच की अवधि में और पूर्व वर्ती वर्ष के दौरान घरेलू उद्योग की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में विभिन्न मात्रा और कीमत पैरामीटरों पर ऋणात्मक रही है।

छ. पाटन की मात्रा

143. पाटन की मात्रा उस सीमा का संकेतक है जिस तक भारत में आयात पाटित किए जा रहे हैं। जांच यह दर्शाती है कि पाटन मार्जिन जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक और महत्वपूर्ण रहा है।

ज. पूंजी निवेश को जुटाने की क्षमता

144. प्राधिकारी नोट करते हैं कि लाभप्रदता में महत्वपूर्ण गिरावट और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट के कारण पूंजी निवेश को जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता खराब है।

झ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

145. क्लैपिंग फोर्स-वार आयात कीमत की जांच दर्शाती है कि संबद्ध देशों से आयात कीमत घरेलू उद्योग बिक्रियों की लागत से महत्वपूर्ण रूप से निम्न है। चूंकि, संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग बिक्रियों की लागत में वृद्धि के अनुरूप इसकी कीमतों के बराबर रखने में असमर्थ है। यह तथ्य कि आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, और घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता में महत्वपूर्ण गिरावट का सामना किया है, स्वयं ही पाटित आयातों के विपरीत प्रभाव को स्थापित करता है। इसलिए संबद्ध देशों से आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।

छ.3.3 क्षति पर निष्कर्ष

146. उपर्युक्त के आधार पर, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैं:

क. संबद्ध देशों से आयात निरपेक्ष रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में बढ़ा है।

ख. आयात में मांग में वृद्धि की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है।

ग. पीसीएन-वार आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि आयात मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कम है, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक मूल्य कटौती हुई है।

घ. जांच अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आई है।

इ. जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में पिछले वर्ष की तुलना में काफी गिरावट आई है।

च. संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा है, जबकि घरेलू उद्योग का हिस्सा घटा है। भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा भी घटा है।

छ. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में गिरावट आई है।

ज. उत्पाद पूंजीगत वस्तु होने के बावजूद, जांच अवधि में घरेलू उद्योग के पास इन्वेंट्री का स्तर बढ़ा है।

झ. जांच अवधि में घरेलू उद्योग की वृद्धि सभी मात्रा और मूल्य मापदंडों पर नकारात्मक है।

ज. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

147. नियमों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, प्राधिकारी को पाटित आयातों के अलावा किन्हीं अन्य ज्ञात कारकों की जांच करना जरूरी है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या पहुंचाने की संभावना है ताकि इन अन्य कारकों द्वारा पहुंचाई गई क्षति को पाटित आयातों पर आरोपित न किया जा सके। कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं उनमें अन्य के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, इसकी व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी और निर्यात निष्पादन व घरेलू उद्योग की उत्पादकता में परिवर्तन हैं। नीचे इसकी जांच की गई है कि क्या नियमों के तहत सूचीबद्ध कारक घरेलू उद्योग द्वारा झेली गई क्षति में भागीदारी कर सकते हैं।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

148. संबद्ध देशों से आयात भारत में कुल आयातों में महत्वपूर्ण हिस्सा स्थापित करते हैं। अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात ऊंची कीमतों पर किए गए हैं और इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंंचा रहे हैं।

ख. मांग में संकुचन

149. यह देखा गया है कि आधार वर्ष तथा पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। इसलिए, माग में संकुचन के कारण घरेलू उद्योग ने क्षति का सामना नहीं किया है।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

150. विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां

151. किसी हितबद्ध पक्षकार ने किसी संभव व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष देते हैं कि व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियों ने घरेलू उद्योग को हानि नहीं पहुंचाई है।

ड. प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

152. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि क्षति अवधि में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन हुआ है। इसलिए, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंची है।

च. निर्यात निष्पादन

153. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों के लिए पृथक रूप से क्षति संबंधी डेटा पर विचार किया है। अत:, निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

छ. अन्य उत्पादों का निष्पादन

154. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित डेटा पर विचार किया है। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों के निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का सभव कारण नहीं है।

झ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष</u>

155. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन, अभिलेख पर उपलब्ध विभिन्न सूचनाओं और उपर्युक्त विश्लेषण पर विचार करते हुए, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

क. संबद्ध देशों से आयात पाटित कीमतों पर हैं।
ख. घरेलू उद्योग की कीमतों से कम आयात ने उसे पर्याप्त लाभकारी मूल्य वसूलने से रोका है।
ग. मूल्य कटौती और मूल्य दमन ने घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
घ. कम कीमत वाले पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को लाभ, नकद प्रवाह और निवेश पर प्रतिफल में गिरावट का सामना करना पड़ा।
ङ. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है और घरेलू मांग में महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है।
च. पाटित आयातों में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा घट गया है।
छ. जबकि विचाराधीन उत्पाद की मांग बढ़ी है, घरेलू बिक्री में गिरावट आई है।
ज. आवेदक की घरेलू बिक्री में गिरावट के साथ ही उत्पादन में भी गिरावट आई है।

156. इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग को नुकसान डंपिंग के कारण हुआ है।

ञ. <u>क्षति मार्जिन की सीमा</u>

157. प्राधिकारी ने संशोधित रूप में अनुबंध III के साथ पठित नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी निर्धारित किया है। विचाराधीन उत्पाद का एनआईपी जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/डेटा को अपनाकर निर्धारित किया गया है। क्लैम्पिंग बल के आधार पर विभिन्न उत्पाद प्रकारों के लिए अलग-अलग एनआईपी निर्धारित किया गया है। इस प्रकार गणना की गई एनआईपी को भारित औसत क्षति मार्जिन की गणना के लिए विषय देशों से क्लैम्पिंग बल-वार उतराई मूल्य की तुलना करने के लिए माना गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत में कोई असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय नहीं जोड़ा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात औसत शुद्ध अचल संपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित रिटर्न (कर-पूर्व @ 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी, ताकि नियमों

के अनुलग्नक III में निर्धारित गैर-हानिकारक मूल्य पर पहुंचा जा सके और उसका पालन किया जा रहा है।

158. उपरोक्त अनुसार निर्धारित की गई पहुंच कीमत ओर क्षति-रहित कीमत की प्लास्टिक प्रोसेसिग मशीन (पीपीएम) अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन क्लैपिंग बल-वार के लिए तुलना की गई है। प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्लैपिंग बल-वार निर्धारित किए गए क्षति मार्जिन के भारांशित औसत को नीचे सारणी में उपलब्ध कराया गया है:

क्षति मार्जिन सारणी

क्रम संख्या	**उत्पादक**	**एनआईपी**	**पहुंच**	**क्षति मार्जिन**		
		यूएस.डा. प्रति मशीन			**%**	**(रेंज)**
क	**चीन**					
1	डोंगगुआन फू चुन शिन प्लास्टिक मशीनरी निर्माण कं, लिमिटेड और फू चुन शिन (निंगबो) मशीनरी निर्माण कं, लिमिटेड	***	***	***	***	40-50%
2	चेन हसोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड, चेन हसोंग सेल्स एंड मार्केटिंग (शेन्ज़ेन) कंपनी लिमिटेड, चेन हसोंग मशीनरी (निंगबो) कंपनी लिमिटेड, चेन हसोंग मशीनरी (शेन्ज़ेन) कंपनी लिमिटेड, फ़ोशान शुंडे चेन डे प्रेसिजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड, फ़ोशान शुंडे चेन डे प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	25-35%

3	यिज़ुमी प्रेसिजन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड, यिज़ुमी हाई स्पीड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड, यिज़ुमी प्रेसिजन मशीनरी (एचके) कं, लिमिटेड, यिज़ुमी प्रेसिजन मशीनरी (सूज़ौ) कं, लिमिटेड	***	***	***	***	30-40%
4	हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम शंघाई लिमिटेड, चीन	***	***	(***)	(***)	नकारात्मक
5	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	60-70%
ख	**ताईवान**					
1	चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कं, लिमिटेड	***	***	***	***	35-45%
2	हुओरवंग मशीनरी लिमिटेड	***	***	(***)	(***)	नकारात्मक
3	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	50-60%

ट. <u>भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे</u>

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

159. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. पाटनरोधी उपायों को लागू करने का डाउनस्ट्रीम उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जिसमें एमएसएमई उत्पादक शामिल हैं।

ख. 40 से अधिक वर्षों से, स्थानीय विकल्पों की कमी के कारण चीन और ताईवान से मशीनों का आयात होता रहा है, क्योंकि भारतीय विनिर्माताओं को समय पर

उच्च टन भार वाली मशीनें (1000 टन से अधिक) उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

ग. चीनी सप्लायर तीन महीनों के भीतर मशीनों का प्रेषण कर सकते हैं जबकि भारतीय आपूर्तिकर्ता प्राय: सात से आठ महीने लेते हैं जो व्यापार संचालनों में व्यवधान डालता है।

घ. पाटनरोधी जांच का उद्देश्य या प्रयोजन एक समान स्तर पर व्यापार के अवसरों को सृजित करना है न कि किसी उद्योग की रक्षा करना। यदि वे अधिनियम या नियमों में उल्लेखित मापदंडों को पूरा नहीं कर पाते।

ड. देश में मांग और आपूर्ति अंतर है और उस अंतर को पूरा करने के लिए आयात स्थान ले रहे हैं।

ट.2 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

160. आवेदको ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. प्रतिभागी उत्पादकों के अलावा, एमएसएमई क्षेत्र से संबंध रखने वाले, प्रति वर्ष 100 मशीनों से कम की उत्पादन क्षमता के साथ और एकमात्र विचाराधीन उत्पाद के प्रचालन पर निर्भर अन्य विनिर्माता।

ख. एमएसएमई उत्पादकों का निर्वाह अधिक कठिन है जहां बड़े उत्पादक अल्प अवधि के लिए क्षति को सहन कर सकते हैं, एमएसएमई उत्पादक नहीं।

ग. उपभोक्ताओं की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, यह देखा जा सकता है कि संयंत्र और मशीनरी का मूल्य ह्रास डाउन स्ट्रीम उद्योग की कुल लागत का केवल 2% ठहरता है। नीचे दी गई सारणी प्रभाव को दर्शाती है।

क्र.सं.	**उत्पादक**	**विवरण**	**समग्र रूप में पीएंडएम पर मूल्य ह्रास (इकाई)**	**कुल व्यय**	**समग्र रूप में पीएंडएम में हिस्सा**
1	संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड	2023-24	20,320	8,47,700	2%
		2022-23	17,300	7,46,680	2%
2		2023-24	16,689	8,90,015	2%

	सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2022-23	14,802	8,27,292	2%
3	एस्ट्रल लिमिटेड	2023-24	10,470	4,40,730	2%
		2022-23	10,330	4,03,120	3%
4	फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2023-24	9,580	3,88,505	2%
		2022-23	7,657	4,22,094	2%
5	नीलकमल लिमिटेड	2023-24	6,878	3,00,669	2%
		2022-23	6,336	2,92,787	2%
6	मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2023-24	8,450	3,59,840	2%
		2022-23	6,820	3,28,430	2%
7	फिएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2023-24	4,278	1,82,090	2%
		2022-23	4,574	1,67,053	3%
8	लुमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2023-24	6,887	2,54,814	3%
		2022-23	6,312	2,22,133	3%

घ. प्लास्टिक प्रसंस्करण उपकरण का मूल्य ह्रास डाउनस्ट्रीम उद्योग के कुल व्ययों का केवल 0.2-0.4% ठहरेगा। जब प्लास्टिक प्रसंस्करण उपकरण का हिस्सा ही इतना कम है तो पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव और भी कम होगा।

ड. विचाराधीन उत्पाद के लिए संयंत्र श्रम प्रधान हैं और बड़ी संख्यास में नौकरियां उत्पन्न करते हैं। उत्पाद अपस्ट्रीम उद्योग को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध करता है जो कि स्वयं कम वाले आयातों का सामना कर रहा हे।

च. चूंकि, विचाराधीन उत्पाद एक पूंजीगत वस्तु है। पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर लागू होगा।

छ. भारत स्व-निर्भर अर्थात आत्म निर्भर है। भारतीय उद्योग के पास उत्पाद के लिए पूरी भारतीय मांग को वहन करने के लिए पर्याप्त दक्षता है। प्रयोक्ताओं को आयात पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।

ज. पीओआई के दौरान संबद्ध देशों से केवल आयात मूल्य ही 625 करोड़ रुपए है। भारतीय उद्योग द्वारा किए गए निर्यात लगभग 375 करोड़ रुपए हैं। इस प्रकार, संबद्ध देशों से आयात व्यापार हानि में जोड़े गए हैं।

झ. प्रयोक्ताओं द्वारा विरोध की कमी दर्शाती है कि वे एडीडी के विपरीत प्रभाव की उम्मीद नहीं करते। प्रतिभागी प्रयोक्ताओं तक ने इस संबंध में कोई चिन्ता नहीं दिखाई है और एसोसिएशनों ने प्रस्तावित उपायों के सार्वजनिक हित के विरुद्ध होने के बारे में सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं।

ञ. यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं है कि पहले प्रवृत्त एडीडी का भारत में प्रयोक्ता उद्योग पर कोई विपरीत प्रभाव था।

ट. चाहे एडीडी के कारण संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित हैं, घरेलू उद्योग का भारतीय बाजार में एकाधिकार नहीं होगा क्योंकि अन्य देशों से उत्पाद का आयात होता है और भारत में समान उत्पाद के 20 उत्पादक हैं।

ठ. आत्म निर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन करने वाला एक जीवंत घरेलू उद्योग अनिवार्य है। भारत सरकार की उत्पाद से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के तहत जिन 13 प्रमुख क्षेत्रों का प्रचार किया गया, ये सभी पीयूसी के प्रमुख उपभोक्ता है। पीएलआई योजना के प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों द्वारा झेली जा रही क्षति का समाधान करना महत्वपूर्ण है।

ड. एक एमएसएमई इकाई का औसत उत्पादन लगभग 50-100 मशीनें प्रति वर्ष है। पीओआई में आयातों की मात्रा का तात्पर्य लगभग 15-20 एसएमई उत्पादकों की आजीविका हे।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

161. प्राधिकारी ने विचार किया है कि क्या प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना सार्वजनिक हित में होगा। यह निर्धारण रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी और विभिन्न पक्षकारों के हितों पर, जिन में घरेलू उद्योग, आयातक और उत्पाद के उपभोक्ता शामिल हैं, के विचारों पर आधारित हैं।

162. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों, जिनमें आयातक, उपभोक्ता ओर अन्य हितबद्ध पक्षकार शामिल हैं, से उनके मतों को आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की है। प्राधिकारी ने उनके परिचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभव प्रभाव सहित, वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ साथ विभिन्न देशों से विभिन्न

आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सप्लाई किए गए उत्पाद की परस्पर विनिमेयता, स्रोतों को बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव, कारक जो संभवत: पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने के कारण उत्पन्न नई स्थिति के प्रति समायोजन को त्वरित या विलंबित कर सकते हैं, के संबंध में जानकारी की मांग की थी।

163. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य, सामान्य तौर पर पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को पहुंची क्षति को समाप्त करना है।

164. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को लागू करना आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता। आयात उचित कीमत पर आना जारी रहेंगे। पाटनरोधी शुल्क सुनिश्चित करते हैं कि आयात उचित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और विदेशी निर्यातकों और आवेदकों के बीच समान स्तर पर व्यापार को बनाए रखा गया है।

165. किसी भी प्रयोक्ता/आयातकों ने एक प्रश्नावली उत्तर दायर नहीं किए हैं। हालांकि, आयातक संघों अर्थात ए.आई.पी.एम.ए और ओ.पी.पी.आई ने अनुरोध प्रस्तुत किए हैं, इसके किसी भी सदस्य ने विगत में लागू अथवा संभवत: अब लगाये जाने वाले पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को दर्शाते हुए प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। संघों ने कुल मिलाकर उपभोक्ताओं और जनता पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के संभावित विपरीत प्रभाव को दर्शाने के लिए किसी मात्रात्मक और सत्यापनीय जानकारी उपलब्ध नही कराई है। चूंकि, उत्पाद पहले पाटनरोधी शुल्क के अधीन था, प्राधिकारी का विचार है कि हितबद्ध पक्षकारों के लिए डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को दर्शाना संभव था। इसलिए यह नोट किया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य जानकारी के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के किसी विपरीत प्रभाव को स्थापित नहीं किया है।

166. घरेलू उद्योग ने अपने लिखित अनुरोधों में शुल्क के सभव प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराई है। इसका किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा विरोध नहीं किया गया है।

क्र.सं.	**उत्पादक**	**विवरण**	**संयंत्र और मशीनरी का मूल्य ह्रास (यूनिट)**	**कुल व्यय**	**कुल व्यय में संयंत्र और मशीनरी के मूल्य ह्रास का हिस्सा**
1		2023-24	20,320	8,47,700	2%

	संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड	2022-23	17,300	7,46,680	2%
2	सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2023-24	16,689	8,90,015	2%
		2022-23	14,802	8,27,292	2%
3	एस्ट्रल लिमिटेड	2023-24	10,470	4,40,730	2%
		2022-23	10,330	4,03,120	3%
4	फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2023-24	9,580	3,88,505	2%
		2022-23	7,657	4,22,094	2%
5	नीलकमल लिमिटेड	2023-24	6,878	3,00,669	2%
		2022-23	6,336	2,92,787	2%
6	मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड	2023-24	8,450	3,59,840	2%
		2022-23	6,820	3,28,430	2%
7	फिएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2023-24	4,278	1,82,090	2%
		2022-23	4,574	1,67,053	3%
8	लुमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2023-24	6,887	2,54,814	3%

167. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि कुल परिचालनों में संयंत्र और मशीनरी के कारण मूल्य ह्रास का हिस्सा कुल मिलाकर 2-3% है। विचाराधीन उत्पाद, हालांकि, केवल संयंत्र और मशीनरी का एक हिस्सा मात्र है। संयंत्र और मशीनरी में निवेश के अन्य संयंत्र और मशीनरी में भी महत्वपूर्ण धन राशि के शामिल होने की संभावना है। इसलिए, कुल व्ययों में प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी के मूल्य ह्रास के हिस्से के महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है। परिणाम स्वरूप, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के उच्च होने की संभावना नहीं है।

168. पाटनरोधी उपायों का लागू होना किसी भी प्रकार से संबद्ध देशों से आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के अतिरिक्त, देश में तथा असंबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के अन्य उत्पादक भी है। अत:, भले ही शुल्कों के कारण संबद्ध देशों से आयात मात्रा में कमी आने के अनपेक्षित परिणाम हों, भारत में डाउनस्ट्रीम उद्योग के आपूर्ति की कमी नहीं होगी।

ठ. <u>प्रकटीकरण टिप्पणियाँ पोस्ट करें.</u>

ठ.1 <u>अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियां</u>

169. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:

क. प्राधिकरण को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से असेंबली और सब-असेंबली को बाहर रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत छोटे हिस्से होते हैं। भले ही प्राधिकरण सब-असेंबली या असेंबली को दायरे में शामिल करने का फैसला करता है, लेकिन शुल्क की गणना के लिए एक स्पष्टीकरण पद्धति प्रदान की जानी चाहिए।

ख. प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह दायरे के भीतर असेंबलियों/उप-असेंबली की परिभाषा को स्पष्ट करे तथा एक नया प्रकटीकरण विवरण जारी करे। सीकेडी और एसकेडी संयोजनों के दायरे और कवरेज से बाहर रखे गए भाग/घटक।

ग. प्राधिकरण को आवेदक की स्थिति की पुनः जांच करनी चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि क्या उसने भागों और घटकों का वाणिज्यिक उत्पादन और बिक्री की है। यह भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या भागों और घटकों की बिक्री को वाणिज्यिक प्रकृति का माना जाना चाहिए।

घ. प्रकटीकरण विवरण में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों और घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन में उल्लिखित घरेलू बिक्री, अन्य उत्पादक बिक्री और आयात मात्रा में महत्वपूर्ण विसंगति है।

ङ. जबकि सरकार सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा देती है, आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क लगाना इस उद्देश्य के विपरीत है।

च. प्राधिकरण ने एआईपीएमए सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पीवीएस सस्पेंशन रेजिन, पीवीसी पेस्ट रेजिन, पीपीएम, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एज़ो पिगमेंट और एलडीपीई जैसे लगभग सभी प्रमुख उत्पादों पर एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग शुल्क लगाया है या लगाने की प्रक्रिया में है। ये आवश्यक उत्पाद विनिर्माण, पैकेजिंग और निर्माण क्षेत्रों में व्यवसायों को प्रभावित करते हैं।

छ. चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कंपनी लिमिटेड के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित भारित औसत उतराई कीमत उत्पादक/निर्यातक द्वारा किए गए दावे के अनुरूप नहीं है। प्रकटीकरण विवरण के पैरा 155 में बताए अनुसार चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कंपनी लिमिटेड के लिए क्षति मार्जिन रेंज 35%-45% है, जबकि घरेलू उद्योग ने ताइवान से आयात के लिए 0-10% की क्षति मार्जिन का दावा किया है। चेन हसोंग मशीनरी

ताइवान कंपनी लिमिटेड जांच अवधि के दौरान ताइवान से विषयगत वस्तुओं का एकमात्र निर्यातक था और इसलिए, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उच्च क्षति मार्जिन असंगत प्रतीत होता है।

ज. यिजुमी समूह के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित भारित औसत पहुंच मूल्य उत्पादक/निर्यातक द्वारा किए गए दावे के अनुरूप नहीं है।

झ. हुओरवंग मशीनरी लिमिटेड ने एमएस एक्सेल प्रारूप में सभी आवश्यक परिशिष्ट प्रदान किए हैं। इसके अलावा, परिशिष्ट 3ए और परिशिष्ट 4ए में सभी रिपोर्ट किए गए लेनदेन के लिए क्लैम्पिंग बल और मशीन श्रृंखला पर पीसीएन निर्दिष्ट किए गए हैं। हुओरवंग मशीनरी लिमिटेड ने मानक वित्तीय सिद्धांतों का उपयोग करके विस्तारित क्रेडिट अवधि वाले सभी लेनदेन के लिए क्रेडिट लागत की पुनर्गणना की है, जिसमें लागू ब्याज दर और क्रेडिट अवधि को शामिल किया गया है। हुओरवंग मशीनरी लिमिटेड ने माल ढुलाई, बीमा और अन्य लागत कटौती सहित सभी समायोजनों के लिए प्रासंगिक चालान और सहायक दस्तावेज प्रदान किए हैं।

ञ. प्राधिकरण दो आवेदकों, इलेक्ट्रॉनिका प्लास्टिक मशीन्स लिमिटेड और विंडसर मशीन्स लिमिटेड को आयातक के रूप में मान्यता देने में विफल रहा, जबकि उन्होंने जांच अवधि के दौरान असेंबलियों के आयात को साबित करने वाले साक्ष्य प्रस्तुत किए थे।

ट. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे से इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों को बाहर रखा, जिन्हें घरेलू उद्योगों में से एक की संबंधित कंपनी द्वारा निर्यात किया गया था। परिभाषित उत्पाद पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से संभवतः उपयोगकर्ता इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों की ओर आकर्षित होंगे, जिससे चीन में शिबौरा मशीन की संबंधित कंपनी को लाभ होगा। प्राधिकरण को अपने अंतिम निष्कर्षों में इस चिंता का समाधान करना चाहिए।

ठ. नियम 2(डी) के अनुसार इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन और प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन दोनों ही एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों ही मोल्ड, ऑटोमेशन और उन्नत नियंत्रण प्रणालियों का उपयोग करके प्लास्टिक सामग्री को आकार देते हैं। दोनों ही मशीनें ऊर्जा दक्षता, सटीकता और स्थिरता को प्राथमिकता देती हैं, जो ऑटोमोटिव, मेडिकल और पैकेजिंग जैसे उद्योगों की सेवा करती हैं।

ड. फ़ोशान समूह द्वारा निर्यात की जाने वाली मशीनें घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित मशीनों की तुलना में हल्की होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत कम होती है और कीमतें भी कम होती हैं। वजन में यह अंतर सीधे लागत दक्षता को प्रभावित करता है, जिससे उत्तरदाताओं की मशीनें अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध होती हैं।

ढ. स्थानीय विकल्पों की कमी के कारण 40 से अधिक वर्षों से भारी मशीनें चीन और ताइवान से आयात की जाती रही हैं। भारतीय निर्माता वर्तमान में उच्च-टन भार, गुणवत्ता वाली मशीनें (1000 टन से अधिक) समय पर उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

ण. प्रकटीकरण कथन केवल क्लैम्पिंग बल के आधार पर पूर्ण मशीनों के लिए एनआईपी पर विचार करता है, जबकि असेंबली या उप-असेंबली के लिए कोई एनआईपी नहीं बनाया गया है। इसका मतलब है कि आयात के बावजूद असेंबली के लिए कोई क्षति मार्जिन निर्धारित नहीं किया गया है, और संभवतः कोई अलग डंपिंग मार्जिन भी नहीं है। इन मार्जिन की गणना किए बिना शुल्क की सिफारिश करना एंटी-डंपिंग नियमों और स्थापित डीजीटीआर प्रथाओं का स्पष्ट उल्लंघन है।

ठ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति</u>

170. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:

क. जबकि आवेदक संघ ने सभी कानूनी दायित्वों का पालन किया, इन विदेशी उत्पादक/आयातकर्ता संघों को समान मानक पर नहीं रखा गया। सीपीएमआईए उन विशिष्ट उत्पादकों/निर्यातकों का विवरण प्रदान करने में विफल रहा जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, जबकि एआईपीएमए और ओपीपीआई ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगे सदस्यों की सूची प्रस्तुत नहीं की।

ख. चीन के हस्की ग्रुप ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति नहीं की। इसके अलावा, निर्माता निर्धारित पीसीएन पद्धति के बावजूद लेनदेन के लिए उचित पीसीएन निर्दिष्ट करने में विफल रहा। विभिन्न पीसीएन के लिए एनआईपी काफी भिन्न होता है, जो प्रति मशीन [9.88] लाख रुपये से लेकर [283.29] लाख रुपये तक होता है। सटीक पीसीएन वर्गीकरण के बिना, डंपिंग और क्षति मार्जिन का निर्धारण मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण होगा।

ग. भारतीय उद्योग प्रमुख मंत्रालयों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, तथा भारी उद्योग मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय दोनों अब चीन और ताइवान से आयातित प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों पर डंपिंग रोधी उपाय लागू करने का समर्थन करते हैं।

घ. घरेलू उद्योग ने पूर्वव्यापी प्रभाव से एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने का अनुरोध किया है, क्योंकि जांच के बाद की अवधि में आयात की मात्रा जांच अवधि के मुकाबले अधिक बढ़ गई है।

ङ. डंप किए गए आयातों के कारण भारतीय उद्योग को लगभग [900] करोड़ रुपये का बाज़ार खोना पड़ा।

च. घरेलू उद्योग के अलावा, अन्य भारतीय उत्पादकों को भी आयात के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जांच अवधि के दौरान आयात में वृद्धि के कारण अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई है। उनकी बाजार हिस्सेदारी भी प्रभावित हुई है।

छ. अन्य भारतीय उत्पादकों का एमएसएमई क्षेत्र में आना स्थिति को और भी गंभीर बना देता है। ये उत्पादक सरकार से पर्याप्त और उचित उपाय के बिना घरेलू बाजार में टिक नहीं सकते।

ज. आयातित वस्तुओं से न केवल भारतीय निर्माताओं का प्रदर्शन कमजोर हुआ है, बल्कि अपस्ट्रीम उत्पादकों पर भी गंभीर असर पड़ा है, जिनमें से कई एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित हैं।

झ. घरेलू उद्योग को आमतौर पर 775 टन तक की मशीनों के निर्माण के लिए 6-8 सप्ताह और इससे बड़ी मशीनों के लिए 12-16 सप्ताह की आवश्यकता होती है।

ञ. अंतिम उत्पाद पर प्रस्तावित शुल्क का प्रभाव नगण्य है।

ठ.3 <u>प्राधिकरण द्वारा जांच।</u>

171. प्राधिकारी ने इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए प्रकटीकरण पश्चात प्रस्तुतियों की जांच की है। यह देखा गया है कि इनमें से अधिकांश प्रस्तुतियाँ उन तर्कों और विवादों की पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही जांच की जा चुकी है और इन अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैराग्राफों में आवश्यकतानुसार संबोधित किया गया है। संक्षिप्तता के लिए, प्राधिकारी ने इस प्रकटीकरण पश्चात जांच में ऐसे मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं को दोहराने से परहेज किया है। हालांकि, प्रकटीकरण पश्चात प्रस्तुतियों में पहली बार उठाए गए किसी भी नए मुद्दे, साथ ही वे मुद्दे जिन्हें पहले संबोधित किया गया था लेकिन जिन्हें प्राधिकारी ने आगे की जांच की आवश्यकता समझी, की जांच की गई है और उनका समाधान किया गया है।

172. कुछ इच्छुक पक्षों ने दायरे में आने वाली असेंबली/सब-असेंबली की परिभाषा, साथ ही इससे बाहर रखे गए भागों/घटकों और सीकेडी और एसकेडी संयोजनों को शामिल करने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। दायरे में आने वाली विशिष्ट असेंबली/सब-असेंबली को पहले ही ऊपर स्पष्ट रूप से पहचाना जा चुका है। केवल वे ही इस अंतिम निष्कर्ष में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध हैं जो अनुशंसित उपायों के अधीन होंगे। किसी भी अन्य असेंबली/सब-असेंबली

का आयात जिसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आता है। शुल्क तालिका के नीचे समावेशन और बहिष्करण की एक विस्तृत सूची भी दी गई है।

173. इस टिप्पणी के संबंध में कि फ़ोशान समूह द्वारा निर्यात किए जाने वाले उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा समान क्लैम्पिंग बल के लिए उत्पादित उत्पादों की तुलना में हल्के हैं और लागत और कीमत कम है, इस मुद्दे की जांच चीन पीआर से 40 से 1000 टन के बीच क्लैम्पिंग बल वाली प्लास्टिक प्रसंस्करण या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के आयात पर पिछली जांच में पहले ही की जा चुकी है। प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

> *"28. आयातित मशीन के कम वजन के संबंध में, प्राधिकरण का विचार है कि प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी जैसी मशीन में, वजन मूल्य निर्धारण का पैरामीटर नहीं हो सकता है क्योंकि खरीदार वांछित तकनीक और सुविधाओं के लिए भुगतान करते हैं न कि वजन के लिए।"*

174. यह देखा गया है कि इच्छुक पक्ष ने यह नहीं दिखाया है कि उसने उपभोक्ता को कथित भार अंतर के बारे में सूचित करके मशीन बेची है, न ही निर्माता ने लागत और कीमत पर इसके प्रभाव को दिखाया है। उपभोक्ताओं ने मशीन के वजन में अंतर को पहचाने बिना ही मशीन खरीद ली। इस प्रकार यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि उत्पाद बेचते समय वजन में अंतर एक पैरामीटर था।

175. इच्छुक पक्षों ने टिप्पणी की है कि इलेक्ट्रॉनिका प्लास्टिक मशीन लिमिटेड ने " *स्क्रू बैरल, स्क्रू टिप, स्थिर प्लेटन नट, टाई बार और अन्य सहायक उपकरण" का आयात किया है,* मिलक्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने *"डिस्प्ले और गेट सील" का आयात किया है* और विंडसर मशीन्स लिमिटेड ने *"स्क्रू बैरल" का आयात किया है* । इच्छुक पक्षों द्वारा पहचाने गए उत्पाद विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं हैं। नियम 2(बी) के तहत विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा न बनने वाले उत्पाद का आयात अप्रासंगिक है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे को स्पष्ट रूप से केवल निम्नलिखित उप-असेंबली को शामिल करने के लिए पहचाना गया है।

"उप-असेंबली अर्थात क्लैम्पिंग/क्लैम्प यूनिट, स्क्रू और बैरल के साथ या बिना इंजेक्शन यूनिट, मशीन बेस फ्रेम और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए आयातित फैब्रिकेशन फ्रेम/कवर।"

176. चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कंपनी लिमिटेड, ताइवान द्वारा यह टिप्पणी की गई है कि निर्धारित की गई उतराई कीमत उत्पादक/निर्यातक द्वारा किए गए दावे के अनुसार नहीं है और उनके लिए निर्धारित क्षति मार्जिन आवेदक द्वारा दावा किए गए क्षति मार्जिन से अधिक है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि आवेदकों द्वारा प्रदान की गई पीसीएन वार आयात मात्रा और प्रतिवादी द्वारा प्रदान की गई जानकारी में अंतर है। चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कंपनी लिमिटेड, ताइवान द्वारा दायर प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है।

177. यिजुमी समूह ने टिप्पणी की है कि समूह के लिए निर्धारित मार्जिन अधिक है, प्राधिकरण ने नोट किया है कि भारत में यिजुमी समूह की संबंधित इकाई ने घाटे में बिक्री की है। भारतीय इकाई द्वारा उठाए गए घाटे को शुद्ध निर्यात मूल्य की गणना में समायोजित किया गया है। अपनाया गया दृष्टिकोण कानून और व्यवहार के अनुसार है।

178. इच्छुक पक्षों ने टिप्पणी की है कि प्रकटीकरण विवरण में घरेलू बिक्री, अन्य उत्पादक बिक्री और आयात मात्रा में महत्वपूर्ण विसंगति है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटीकरण विवरण में विचारित डेटा वही है जो आवेदक द्वारा इच्छुक पक्षों को प्रसारित किया गया था। उचित सत्यापन के बाद डेटा पर विचार किया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इच्छुक पक्षों ने आवेदन में दी गई सूचना और प्रकटीकरण विवरण के बीच तुलना की है। आवेदन में विचाराधीन उत्पाद का दायरा 40 टन से कम नहीं और 3200 टन से अधिक नहीं के क्लैम्पिंग बल वाली मशीनों का था। हालाँकि, तब उत्पाद का दायरा 40 टन से कम नहीं और 1500 टन से अधिक नहीं के क्लैम्पिंग बल वाली मशीनों तक घटा दिया गया था। चूंकि विचाराधीन उत्पाद के दायरे में परिवर्तन हुआ है, इसलिए आवेदन में डेटा में भी परिवर्तन हुआ है, जिसे इच्छुक पक्षों को प्रसारित किया गया था।

179. इस निवेदन के संबंध में कि इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों को शिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सहयोगी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया था, प्राधिकरण नोट करता है कि वर्तमान आवेदन प्लास्टिक मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर किया गया है और

तीन अन्य घरेलू उत्पादकों ने अपने लागत संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, न कि केवल शिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। पिछली जांचों में भी, इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया गया था, और वे वर्तमान जांच में भी बाहर हैं। इसके अलावा, इच्छुक पक्षों द्वारा यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के आयात में वृद्धि हुई है। इसलिए, यह दावा कि इन मशीनों को जानबूझकर बाहर रखा गया था, स्वीकार नहीं किया जा सकता।

180. अन्य इच्छुक पक्षों ने तर्क दिया है कि भारत में मांग और आपूर्ति में अंतर है और आपूर्ति अंतर को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक है। प्राधिकरण ने नोट किया है कि भारतीय उद्योग में देश की पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। इसके अलावा, एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से आयात पर प्रतिबंध नहीं लगता है। आयात जारी रह सकता है, हालांकि उचित मूल्य पर। एंटी-डंपिंग शुल्क यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित मूल्य पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और विदेशी निर्यातकों और भारतीय उद्योग के बीच एक समान अवसर बना हुआ है। वास्तव में, प्राधिकरण ने एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश करते समय डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम पर विचार किया है, जो सभी हितधारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है।

181. इच्छुक पक्षों ने टिप्पणी की है कि असेंबलियों के लिए क्षति और डंपिंग मार्जिन का निर्धारण किए बिना प्रकटीकरण विवरण जारी किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि भाग लेने वाले निर्यातकों ने असेंबलियों के निर्यात की रिपोर्ट की, उन्होंने इन उप-असेंबली की प्रकृति के बारे में पर्याप्त विवरण नहीं दिया। यह देखा गया है कि सभी भाग लेने वाले उत्पादकों में से केवल [***] ने उप-असेंबली/एसकेडी और सीकेडी मशीनों के निर्यात की रिपोर्ट की है, लेकिन कोई विवरण नहीं दिया है। उत्पादक ने केवल [एसकेडी और नॉट-मशीन] का उल्लेख किया है। इस महत्वपूर्ण सूचना के बिना, रिपोर्ट की गई उप-असेंबली के शुद्ध निर्यात मूल्य और पहुंच मूल्य की घरेलू उद्योग के सामान्य मूल्य और गैर-हानिकारक मूल्य के साथ सटीक रूप से तुलना करना संभव नहीं है। यह भी देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद के सीकेडी/एसकेडी फॉर्म और विशिष्ट उप-असेंबली को शामिल करने का उद्देश्य असेंबली की आसानी और एंटी-डंपिंग उपायों की अनदेखी की उच्च संभावना के कारण था। यह तर्क नहीं है कि जांच अवधि में इन फॉर्मों का महत्वपूर्ण आयात हुआ है। इसलिए, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन विकृत नहीं है।

182. विषयगत वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से एमएसएमई उपयोगकर्ताओं के लिए उत्पादन लागत में सीधे वृद्धि होगी, प्राधिकरण ने नोट किया है कि इच्छुक पक्षों ने केवल बयान दिए हैं और अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई सत्यापन योग्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। विचाराधीन उत्पाद एक पूंजीगत वस्तु है और घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से पता चलता है कि यह डाउनस्ट्रीम उद्योग की लागत का नगण्य हिस्सा है। इसलिए, इसका प्रभाव नगण्य होगा।

183. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा उठाए गए तर्क के संबंध में कि इलेक्ट्रिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीन के समान है, यह नोट किया जाता है कि अन्य इच्छुक पक्ष प्राधिकरण द्वारा अपने आरंभिक नोटिस में निर्धारित समय सीमा के भीतर और यहां तक कि पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे के लिए दायर टिप्पणियों में भी ऐसे तर्क उठाने में विफल रहे। इस प्रकार, जांच में इतनी देरी से किए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार नहीं किया जा सकता है। किसी भी मामले में, अन्य इच्छुक पक्षों ने अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया है।

ड. <u>निष्कर्ष</u>

184. उठाए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना तथा हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों, जैसा कि उपर्युक्त निष्कर्षों में दर्ज है, तथा घरेलू उद्योग के साथ पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

क. यह जांच प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी के आयात के संबंध में शुरू की गई थी, जिसमें क्लैम्पिंग बल 40 टन से कम और 3200 टन से अधिक नहीं था। उपयोगकर्ताओं द्वारा टिप्पणियां दायर की गई थीं, जिसमें अनुरोध किया गया था कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा 1500 टन से कम क्लैम्पिंग बल वाली मशीनों तक सीमित रखा जाए। घरेलू उद्योग ने अनुरोध पर कोई विवाद नहीं किया और तदनुसार दायरा 1500 टन तक सीमित कर दिया गया।

ख. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार की प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनें हैं, जिनमें क्लैम्पिंग बल 40 टन से कम नहीं तथा 1500 टन से अधिक नहीं होता है, जिनका उपयोग प्लास्टिक सामग्री के प्रसंस्करण या मोल्डिंग के लिए किया जाता है।

ग. विचाराधीन उत्पाद पूंजीगत सामान है। इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि पूंजीगत सामान पूरी तरह से असेंबल और उपयोग के लिए तैयार स्थिति में आयात किया जाए। परिवहन में आसानी के लिए, मशीन को सीकेडी, एसकेडी और सब-असेंबली के रूप में आयात किया जा सकता है।

घ. प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन में बड़ी संख्या में घटक शामिल होते हैं। हालांकि, क्लैम्पिंग यूनिट, इंजेक्शन यूनिट और मशीन बेस फ्रेम विचाराधीन उत्पाद का अभिन्न और आवश्यक हिस्सा हैं। अन्य उप-असेंबली में बैरल, केबल, स्ट्रेन रॉड, सिलेंडर, प्लेटेंस आदि जैसे आइटम शामिल हैं।

ङ. सेमी नॉक्ड डाउन (एसकेडी) में आयात का अर्थ है एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन जो अधूरी या अधूरी अवस्था में है, पूरी तरह से असेंबल नहीं की गई है, लेकिन प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन के भागों के रूप में लेन-देन की जाती है। ये भाग एक साथ फिट नहीं किए गए हैं, और मशीन उपयोग के लिए तैयार नहीं है। एसकेडी फॉर्म में आयात का तात्पर्य विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए आवश्यक सभी एसकेडी या उप-असेंबली के आयात से है। इसके अलावा, स्क्रू और बैरल या मशीन बेस फ्रेम या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के लिए फैब्रिकेशन फ्रेम/कवर के साथ या बिना पूरी क्लैम्पिंग/क्लैंप यूनिट या पूरी इंजेक्शन यूनिट का आयात विचाराधीन उत्पाद की आवश्यक उप-असेंबली या एसकेडी है।

च. पूरी तरह से नॉक डाउन (सीकेडी) का मतलब है प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन अपने घटकों के रूप में। ऐसे घटकों को एक साथ रखने पर पूरी मशीन का आवश्यक चरित्र होगा।

छ. प्राधिकरण ने नोट किया है कि आवेदक कम्पनियों का उत्पादन भारत में समान वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का 57% है।

ज. घरेलू उद्योग के अलावा, कई अन्य घरेलू उत्पादकों ने घरेलू उद्योग द्वारा दायर वर्तमान आवेदन का समर्थन किया है।

झ. शिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मिलैक्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए आयात घटक हैं। हालांकि, ये घटक विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं हैं।

ञ. प्राधिकरण का मानना है कि आवेदक नियम 2(बी) के अर्थ में "घरेलू उद्योग" से संबंधित हैं और आवेदन नियम 5 के अनुसार मानदंडों को पूरा करता है।

ट. घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हुई है, जैसा कि जांच में सामने आए निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है:

i. संबद्ध देशों से आयात में निरपेक्ष रूप से तथा भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में वृद्धि हुई है। संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान भारत में कुल आयात में संबद्ध देशों से आयात का बड़ा हिस्सा रहा।

ii. जांच अवधि में विषयगत आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक मूल्य कटौती हुई है। कम कीमत वाले आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा दिया है। समान कीमतों की तुलना में डंप किए गए आयातों द्वारा महत्वपूर्ण मूल्य कटौती हुई है। भारत में उत्पाद, और इस तरह के आयात का प्रभाव घरेलू बाजार में कीमतों को दबाना और मूल्य वृद्धि को रोकना था बढ़ोतरी जो अन्यथा होगा घटित हुआ को ए महत्वपूर्ण डिग्री।

iii. जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। मांग में वृद्धि के बावजूद, जांच अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है।

iv. जांच अवधि में वित्तीय लाभ, नकद लाभ और ब्याज एवं कर से पहले लाभ में लगभग 50% की भारी गिरावट आई है। 2021-22 में निवेश पर रिटर्न में सुधार हुआ और उसके बाद जांच अवधि तक इसमें काफी गिरावट आई है।

v. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि और पूर्ववर्ती वर्ष में विभिन्न मात्रा और मूल्य मापदंडों पर नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

ठ. घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग को हुई भौतिक क्षति, संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद की डंपिंग के कारण हुई है।

ड. एंटी-डंपिंग उपायों के लागू होने से संबद्ध देशों से आयात पर किसी भी तरह से प्रतिबंध नहीं लगेगा।

ढ. एंटी-डंपिंग शुल्क यह सुनिश्चित करेगा कि आयातित वस्तुएं उचित मूल्य पर भारतीय बाजार में प्रवेश करें तथा विदेशी निर्यातकों और घरेलू उद्योग के बीच समान अवसर बना रहे।

ण. एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना व्यापक सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं होगा।

ढ. <u>सिफारिश</u>

185. प्राधिकारी ने नोट किया कि जांच शुरू की गई थी और सभी इच्छुक पक्षों को सूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य इच्छुक पक्षों को डंपिंग, क्षति

और कारण संबंध के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। डंपिंग, क्षति और कारण संबंध की जांच शुरू करने और एंटी-डंपिंग नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार करने के बाद, प्राधिकारी का मानना है कि डंपिंग और क्षति की भरपाई के लिए शुल्क लगाना आवश्यक है। इसलिए, प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और विषय देशों से विषय वस्तुओं के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

186. प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम के बराबर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, नीचे दी गई शुल्क तालिका में दर्शाए अनुसार एंटी-डंपिंग शुल्क, जो आयातों के सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत के रूप में होगा, विषयगत देशों में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले विषयगत वस्तुओं के सभी आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 साल के लिए लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	**शीर्ष/ उप शीर्ष**	**वस्तुओं का विवरण**	**मूलता का देश**	**निर्यात का देश**	**उत्पादक**	**सीआईएफ के % के रूप में शुल्क**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	84771000 और 84779000	प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी*	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	डोंगगुआन फू चुन शिन प्लास्टिक मशीनरी निर्माण कं, लिमिटेड और फू चुन शिन (निंगबो) मशीनरी निर्माण कं, लिमिटेड	48%
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	चेन हसोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड, चेन हसोंग सेल्स एंड मार्केटिंग (शेन्ज़ेन) कंपनी लिमिटेड, चेन हसोंग मशीनरी (निंगबो) कंपनी लिमिटेड, चेन हसोंग मशीनरी (शेन्ज़ेन) कंपनी लिमिटेड, फ़ोशान	27%

					शुंडे चेन डे प्रेसिजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड, फ़ोशान शुंडे चेन डे प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड	
3	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	यिज़ुमी प्रेसिजन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड, यिज़ुमी हाई स्पीड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड, यिज़ुमी प्रेसिजन मशीनरी (एचके) कं, लिमिटेड, यिज़ुमी प्रेसिजन मशीनरी (सूज़ौ) कं, लिमिटेड	35%
4	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम्स शंघाई लिमिटेड	0%
5	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	कोई अन्य उत्पादक	63%
6	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. एवं ताइवान के अलावा कोई भी अन्य देश	चीन जन. गण.	कोई भी उत्पादक	63%
7	-वही-	-वही-	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश	चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कं, लिमिटेड	39%
8	-वही-	-वही-	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश	हुओर्वग मशीनरी लिमिटेड .	0%
9	-वही-	-वही-	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश	कोई अन्य उत्पादक	53%
10	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. एवं ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	53%

			के अलावा कोई भी अन्य देश			

** वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनें (पीपीएम) या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें हैं, जिन्हें इंजेक्शन प्रेसर के रूप में भी जाना जाता है, जिनका उपयोग प्लास्टिक सामग्री के प्रसंस्करण और मोल्डिंग के लिए किया जाता है।*

विचाराधीन उत्पाद के दायरे में सभी प्रकार की प्लास्टिक प्रोसेसिंग या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें शामिल हैं, जिनका क्लैम्पिंग बल 40 टन से कम और 1500 टन से अधिक नहीं है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में पूरी तरह से असेंबल की गई, सेमी नॉक्ड डाउन (एसकेडी), कम्पलीट नॉक्ड डाउन फॉर्म (सीकेडी) या एसकेडी और सीकेडी का संयोजन शामिल है। दायरे को नीचे और स्पष्ट किया गया है -

क. सेमी नॉक डाउन स्टेज में प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन का मतलब ऐसी प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन होगी जो पूरी तरह से असेंबल नहीं की गई है, लेकिन इसे प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पार्ट्स या सब-असेंबली एक साथ फिट नहीं होती हैं और मशीन इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं होती है। सेमी नॉक डाउन मशीन में सब-असेंबली भी शामिल होगी जैसे क्लैम्पिंग/क्लैंप यूनिट, स्क्रू और बैरल के साथ या बिना इंजेक्शन यूनिट, मशीन बेस फ्रेम और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए आयातित फैब्रिकेशन फ्रेम/कवर।

ख. पूर्णतया नष्ट अवस्था में प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीन का अर्थ अपूर्ण या अधूरा प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीन है, जो एक साथ रखे जाने पर पूर्ण मशीन का अनिवार्य चरित्र रखती है, तथा जिसमें मशीनों को संयोजित करने के लिए आवश्यक सभी घटक होते हैं।

निम्नलिखित उत्पादों को विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है: -

क. उपशीर्षक 8477 30 04 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत वर्गीकृत ब्लो मोल्डिंग मशीनें।

ख. ऊर्ध्वाधर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें.

ग. सभी इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें, जिनमें यांत्रिक गतिविधियां जैसे इंजेक्शन, मोल्डिंग बंद करना, मोल्डिंग खोलना, इजेक्शन, स्क्रू-ड्राइव आदि स्वतंत्र सर्वो मोटर्स द्वारा नियंत्रित होती हैं और डिजिटल नियंत्रण प्रणाली होती है तथा हाइड्रोलिक इकाई के बिना होती हैं।

घ. फुटवियर बनाने के लिए बहु-रंगीन/बहु-मोल्ड मशीनरी, फुटवियर बनाने के लिए रोटरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी और फुटवियर सोल/स्ट्रैप/एड़ी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उप-शीर्षक 8453 के अंतर्गत वर्गीकृत है।

ङ. सेकेंड हैंड/प्रयुक्त प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनें।

च. ऊपर निर्दिष्ट भागों/घटकों के अलावा किसी भी स्टैंडअलोन भाग/घटक का आयात।

छ. इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के अलावा किसी अन्य मशीन के उत्पादन के लिए आयातित क्लैम्पिंग/क्लैम्प इकाई, स्क्रू और बैरल सहित या रहित इंजेक्शन इकाई, मशीन बेस फ्रेम और फैब्रिकेशन फ्रेम/कवर का आयात।

#सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ण. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

187. इस अंतिम निष्कर्ष में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण/समीक्षा के विरुद्ध अपील अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी